भाग –2
बोलीदाताओं को अनुदेश
(आईटीबी)

खंडों की सारणी

प्रस्तावना

क. परिचय 1

1. निधियों का स्रोत 1
2. पात्र बोलीदाता 1
3. पात्र माल और संबंधित सेवाएं 2
4. बोली की लागत 3

ख. बोली दस्तावेज 3

5. बोली दस्तावेजों की विषय-वस्तु 3
6. बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण और बोली पूर्व बैठक 5
7. बोलीदस्तावेजों का संशोधन 6

ग. बोलियों को तैयार करना 6

8. बोली की भाषा 6
9. बोली को शामिल करने वाले दस्तावेज 7
10. बोली प्रपत्र और कीमत अनुसूचियां 17
11. बोली कीमतें 17
13. बोली प्रतिभूति 22
14. बोली वैधता की अवधि 24
15. बोली का फार्मेट और हस्ताक्षर करना 25

घ. बोलियों को प्रस्तुत करना 27

16. बोलियों को सील करना और चिन्हित करना 27
17. बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29
18. देर से प्राप्त बोलियां 29
19. बोलियों में आशोधन और उनकी वापसी 30

ड.. बोलियों को खोलना और मूल्यांकन 30

20. क्रेता द्वारा पहले लिफाफे को खोला जाना 30
21. बोलियों का स्पष्टीकरण 32
22. पहले लिफाफे की आरंभिक जांच 32
23. अर्हता 34
24. तकनीकी-वाणिज्यिक भाग का मूल्यांकन (प्रथम लिफाफा) 34
25. क्रय-कर्ता द्वारा द्वितीय लिफाफे को खोलना 36
26. एकल मुद्रा में परिवर्तन 37
27. द्वर्तीय लिफाफा का मूल्यांकन (कीमत भाग) 37
28. क्रय/घरेलू प्राथमिकता 41
29. गोपनीयता और क्रेता से संपर्क करना 41

च. संविदा प्रदान करना 41

30. प्रदान किए जाने संबंधी मानदंड 41
31. किसी बोली को स्वीकार करने या एक या सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का क्रेता का अधिकार 42
32. प्रदान किए जाने संबंधी अधिसूचना 43
33. संविदा करार पर हस्ताक्षर करना 43
34. निष्पादन प्रतिभूति 44
35. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार 44

बोलीदाताओं को अनुदेश (आईटीबी)

प्रस्तावना

बोली दस्तावेजों के इस भाग (भाग-II) में क्रेता की जरूरतों के अनुसार, उत्तरदायी बोलियों को तैयार करने के लिए बोलीदाता के लिए अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराता है। यह बोली प्रस्तुत करने और पोर्टल https://pgcileps.buyjunction.in, पर बोली को अपलोड करने, ऑन लाइन बोलियों को खोले जाने, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करने संबंधी सूचना भी उपलब्ध कराता है। इस भाग (भाग-II) में ऐसे प्रावधान अंतर्निहित हैं जिन्हें अपरिवर्तित रूप में प्रयुक्त किया जाना है जबतक कि भाग-III, जिसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो भाग- II में शामिल सूचना या आवश्यकताओं का विस्तार में अनुपूरण, संशोधन या उल्लेखन करते हैं और जो प्रत्येक अधिप्राप्ति के प्रति विशिष्ट है और अन्यथा रूप में वर्णित करता है। यदि भाग- II और भाग- III के प्रावधानों के बीच कोई विरोध है तो ऐसी स्थिति में भाग- III के प्रावधान लागू होंगे।

हालांकि, आपूर्तिकर्ता के निष्पादन को अभिशासित करने वाले प्रावधान, संविदा के तहत भुगतान या संविदा के तहत पक्षकारों के जोखिमों, अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित करने वाले मामले इस भाग में शामिल नहीं है बल्कि भाग- IV: संविदा की सामान्य शर्तों और/या भाग - V: संवदिा की विशेष शर्तों के तहत शामिल हैं।

बोलीदाता यह नोट कर सकते हैं कि क्रेता ने इसके/ आशोधनों/संशोधनों[1] सहित अपनी 'कार्य और अधिप्राप्ति नीति एवं कार्य विधि' (खंड I और II) को पावरग्रिड की वेबसाइट पर अपलोड किया है और इस संबंध में बोली दस्तावेजों के खंड आईएफबी 3.3 भाग- I की ओर बोलीदाता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वे बोलीदाता जो इनका अवलोकन करना चाहते है वे **www.powergridindia.com.** देख सकते हैं। तथापि, यह नोट किया जाएगा कि बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता सहित कोई अन्य पक्षकार इस ''कार्य और अधिप्राप्ति नीति एवं कार्यविधि'' दस्तावेजों से कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे या इसके आधार पर क्रेता पर कोई दावा नहीं कर सकेंगे। क्रेता और बोलीदाता/आपूर्तिकर्ताओं के संबंधित अधिकारों को संबंधित पैकेज (पैकेजों) के लिए क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीचा हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों/संविदाओं द्वारा अभिशासित किया जाएगा। अंतर्विरोध के मामले में बोली दस्तावेजों के प्रावधान हमेशा ''कार्य और अधिप्राप्ति नीति एवं कार्यविधि'' दस्तावेजों के अनुसार अभिभावी होंगे।

इसके अतिरिक्त, बोली दस्तावेजों के इस भाग-II और भाग-III के प्रावधानों से उत्पन्न सभी मामलों में, भारत संघ के कानून अभिशासी कानून होंगे और नई दिल्ली के न्यायालयों का पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे।

---

[1] ''बोली प्रक्रिया में भागीदारी के लिए फर्मों की अपात्रता'' पर और ''फर्मों की काली सूची में रखने/व्यापार पर प्रतिबंध लगाने'' पर संशोधन सहित।

क. परिचय

1. निधियों का स्रोत

1.1 **बीडीएस** में नामित मालिक इस परियोजना के लिए घरेलू निधियों (मालिक के आंतरिक संसाधन/घरेलू ऋण/ बांड) का उपयोग करने का इरादा रखता है।

पैकेज, जिसके लिए बोलियों का यह आमंत्रण जारी किया गया है, के लिए संविदा के तहत सभी पात्र भुगतान **बीडीएस** में नामित क्रेता द्वारा की जाएगी।

2. पात्र बोलीदाता

2.1 क्रेता द्वारा जारी किया गया, बोली के लिए यह आमंत्रण भारत में पंजीकृत और निगमित न किए गए सरकारी विभागों तथा विदेशी बोलीदाताओं/एमएनसी और उन बोलीदाताओं जिनके साथ क्रेता द्वारा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, को छोड़कर, कंपनी अधिनियम,1956 के अनुसार भारत में पंजीकृत और निगमित कंपनी (कंपनियों), सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त उद्यमों सहित सभी उद्यमों, कंपनियों के लिए खुला है।

2.2 किसी बोलीदाता के हितों का विरोध नहीं होगा। हितों का विरोध रखने वाले सभी बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित किया जाएगा। किसी बोलीदाता को इस बोली प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हितों का विरोध रखने वाला समझा जाएगा, यदि:

(क) उनका समान नियंत्रक साझीदार हो; या

(ख) वे उनमें से किसी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है; या

(ग) इस बोली के प्रयोजन हेतु उनका समान कानूनी प्रतिनिधि हो; या

(घ) उनका एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से या सामान्य तीसरे पक्षकार के जरिए ऐसा संबंध हो जो उन्हें इस बारे में सूचना तक पहुंच रखने या किसी अन्य बोलीदाता की बोली पर प्रभाव डालने में सहायता करता है या इस बोली प्रक्रिया के संबंध में क्रेता के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंचा सकता है; या

(ड.) कोई बोलीदात इस बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है, चाहे व्यैक्तिक रूप से [एक या अधिक विनिर्माता (ओं) की ओर से अथवा अनुज्ञप्तिधारी –अनुज्ञप्तिदाता मार्ग के जरिए एक एजेंट/प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत बोली सहित, जहां भी अनुबंध – क (बीडीएस) में बोलीदाताओं के लिए अर्हता अनिवार्यता के प्रावधान के अनुसार अनुमत हो] अथवा किसी संयुक्त उद्यम में एक साझीदार के रूप में, आईटीबी खंड 9.3 के तहत अनुमत वैकल्पिक प्रस्तावों के अतिरिक्त। इसका परिणाम सभी ऐसी बोलियों की अनर्हता में होगा। तथापि, यह किसी बोलीदाता की किसी दूसरी बोलीमें उप संविदाकार के रूप में या किसी फर्म की एक से अधिक बोली में उप संविदाकार के रूप में भागीदारी को सीमित नहीं करता।

(च) माल या संबंधित सेवाएं, जो बोली के विषय हैं, के डिजाइन या तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करने में परामर्शदाता के रूप में भाग लेने वाले कोई बोलीदाता या उसकी किसी सहयोगी कंपनी; या

(छ) संविदा के लिए परियोजना प्रबंधक के रूप में क्रेता द्वारा किसी बोलीदाता या इसकी किसी सहयोगी कंपनी को काम पर रखा गया है (अथवा काम पर रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है)

2.3 बोलीदाता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्रेता की आश्रित एजेंसी नहीं होगा।

2.4 यदि बोली प्रक्रिया से पहले एक पूर्व अर्हता प्रक्रिया आयोजित की गई है तो यह बोली केवल पूर्व योग्यता प्राप्त बोलीदाताओं के लिए खुली है।

3. पात्र माल और संबंधित सेवाएं

3.1 इन बोली दस्तावेजों के प्रयोजनार्थ, शब्द ''माल'' में वस्तुएं, कच्ची सामग्री, मशीनरी, उपस्कर और औद्योगिक संयंत्र और ''संबंधित सेवाएं'' शामिल हैं और ''संबंधित सेवाओं'' में बीमा, संस्थापन, प्रशिक्षण और आरंभिक अनुरक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं।

3.2 संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाली सभी माल और संबंधित सेवाओं का मूल स्थान किसी भी देश में हो सकता है उन देशों को छोड़कर, जिनके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा कारोबार आयोजित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और फर्मों को छोड़ कर जिन के साथ कारोबार करने के लिए क्रेता द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

3.3 इस खंड के प्रयोजनार्थ, ''मूल का देश'' शब्द से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां माल का खनन, उगाया गया, उत्पादित, विनिर्माण या संसाधित किया गया है; अथवा वाणिज्यिक रूप से मान्यता प्राप्त उत्पाद के विनिर्माण, संसाधन या संघटकों के उल्लेखनीय संयोजन के परिणामस्वरूप प्राप्त उत्पाद जो कि अपने संघटकों से महत्वपूर्ण रूप से आधारभूत विशेषताओं या उद्देश्य या उपयोगिता में पृथक है।

4. बोली की लागत

4.1 बोलीदाता बोली-पश्चात विचार-विमर्श, तकनीकी और अन्य प्रस्तुतियों आदि सहित अपनी बोली को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने से संबद्ध सभी लागतों को वहन करेगा और क्रेता किसी भी स्थिति में बोली प्रक्रिया के आयोजन या निष्कर्ष की परवाह किए बिना इन लागतों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

ख. बोली दस्तावेज

5. बोली दस्तावेजों की विषय-वस्तु

5.1 अपेक्षित माल और संबंधित सेवाएं, बोली कार्यविधि, संविदा निबंधन और तकनीकी अनिवार्यताएं बोली दस्तावेजों में निर्धारित की गई हैं। बोली दस्तावजें में निम्नलिखित सामग्री और उनसे संबंधित संशोधन, यदि कोई हो, शामिल होंगे:-

खंड - I: संविदा की शर्तें

भाग I बोलियों के लिए आमंत्रण (आईएफबी)
भाग II बोलीदाताओं को अनुदेश (आईटीबी)
भाग III बोली आंकड़ा शीट (बीडीएस)
भाग IV संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)
भाग V संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)
भाग VI नमूना पत्र और कार्यविधियां (एफपी)

1. बोली प्रपत्र और कीमत अनुसूची
1.1 बोली प्रपत्र
1.2 कीमत अनुसूची
2. बोली प्रतिभूति प्रपत्र
3. क्रेता द्वारा बैंक को अधिसूचना प्रपत्र
4. 'संविदा प्रदान करने संबंधी अधिसूचना' प्रपत्र
5. संविदा करार प्रपत्र
5.1 परिशिष्ट -1: भुगतान की शर्तें और कार्यविधियां
5.2 परिशिष्ट -2: कीमत समायोजन
5.3 परिशिष्ट -3: बीमा अनिवार्यताएं
5.4 परिशिष्ट -4: समय अनुसूची
5.5 परिशिष्ट -5: अनुमोदित उप संविदाकारों की सूची
5.6 परिशिष्ट -6: अनुमोदन या पुनरीक्षा के लिए दस्तावेजों की सूची
5.7 परिशिष्ट -7: गैर-निष्पादन के लिए गारंटियां, परिनिर्धारित नुकसान
5.8 परिशिष्ट -8: संविदा समन्वय कार्यविधि
5.9 परिशिष्ट -9: ऑन-अकाउंट भुगतान के प्रयोजन के लिए संविदा कीमत का ब्यौरा
5.10 परिशिष्ट -10: सत्यनिष्ठा संधि
6. निष्पादन प्रतिभूति प्रपत्र
7. अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी
8. अधिकार ग्रहण प्रमाणपत्र प्रपत्र
9. बैंक गारंटी के विस्तार के लिए प्रपत्र
10. संयुक्त उद्यम के लिए पावर ऑफ अटार्नी प्रपत्र
11. संयुक्त उद्यम करार प्रपत्र
12. क्रेडिट/सुविधाओं तक पहुंच या उनकी उपलब्धता साक्ष्य के लिए फार्मेट
13. सामग्री स्वीकृति प्रमाणपत्र फार्मेट

खंड-II : तकनीकी विनिर्देशन

5.2 बोलीदाता से बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों शर्तों, विनिर्देशनों और अन्य सूचनाओं की जांच करने की आशा की जाती है। बोली दस्तावेजों द्वारा अपेक्षितसारी सूचना प्रस्तुत करनेया प्रत्येक रूप में बोली दस्तावेजों के प्रति उल्लेखनीयरूप से गैर-उत्तरदायी किसी बोली की प्रस्तुती बोलीदाता के जोखिम पर होगी और इसका परिणाम उसकी बोली को खारिज किए जाने में हो सकता है।

5.3 कार्य का क्षेत्र ''तकनीकी विनिर्देशन'' शीर्षक से बोली दस्तावेजों के खंड-II में दिया गया है:-

क्रमादेश संलग्नकों और कीमत अनुसूची को तैयार करने में क्रेता द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। बोलीदाताओं से इसे अपनी ओर से ट्रायल रूप में पूरी तरह से सत्यापित करने और क्रेता को गणितीय, तर्कसंगत, फार्मेटिंग या ऐसी किसी त्रुटि, यदि इसमें उपयुक्त कार्रवाई के लिए पाई जाती है, के बारे में अधिसूचित करने की आशा की जाती है। संशोधन (नों) यदि कोई हो, के जरिए इस संबंध में की गई शुद्धियों का ध्यान किए बिना, मूल्यांकन के लिए त्रुटि के परिशोधनों को बोली दस्तावेजों के निर्धारित प्रावधानों के अनुसरण में लागू किया जाएगा।

6. बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक

6.1 बोली दस्तावेजों का कोई स्पष्टीकरण मांगने वाला कोई भावी बोलीदाता इस संबंध में पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in* पर किए गए प्रावधानों के जरिए क्रेता को अधिसूचित कर सकता है। तथापि, बोलीदाता **बीडीएस** में इंगित क्रेता के डाक पते पर लिखित में अथवा केबल द्वारा (यहां इसके बाद, पद 'केबल' में इलैक्ट्रॉनिक डाटा, इंटरचेंज (ईडीआई) या टैलीफैक्स को शामिल माना गया है) भी स्पष्टीकरण मांग सकताहै। इसी प्रकार, यदि कोई बोलीदाता यह महसूस करता है कि दस्तावेजों में कोई महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे जो आईटीबी उप खंड 22.3.1 में सूचीबद्ध हैं, अस्वीकार्य होंगे, तो ऐसे किसी मुद्दे को उपरोक्त अनुसार उठाया जाना चाहिए। क्रेता बोली दस्तावेज के स्पष्टीकरण या आशोधन के लिए किए गए किसी अनुरोध, जिसे वह क्रेता द्वारा निर्धारित की गई बोलियों के प्रस्तुत करनेकी मूल अंतिम तारीख से अधिकतम अठाईस (28) दिन पहले प्राप्त करता है, को पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in* पर अपलोड किया जाएगा जहां सभी बोलीदाता प्रश्न का स्पष्टीकरण/उत्तरदेख सकते हैं।

6.2 बोलीदाता के पदनामित प्रतिनिधि (यों) को एक बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है (हैं) जो, यदि आयोजित की जाती है, **बीडीएस** में निर्धारित स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य सामान्य रूप में बोली दस्तावेजों और विशेष रूप में तकनीकी विनिर्देशनों से संबंधित किसी मुद्दे को स्पष्ट करना होगा। बोलीदाता से जहां तक संभव हो, किसी प्रश्न को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है ताकि वह क्रेता तक बैठक से अधिकतम एक सप्ताह पहले पहुंच सके। विलंब से प्राप्त प्रश्नों का बैठक में

उत्तर देना व्यवहार्य नहीं होगा किंतु प्रश्नों और उत्तरों को बाद में प्रेषित किया जाएगा जैसा कि यहां बाद में इंगित किया गया है। उठाए गए प्रश्नों (बोलीदाताओं के नाम की पहचान दिए बिना) और दिए गए उत्तरों की विषय-वस्तु सहित, बैठक के बाद तैयार किए गए, प्रतिक्रियाओं सहित, बैठक का कार्यवृत्त बोली दस्तावेजों के सभी क्रेताओं को बिना विलंब संप्रेषित किया जाएगा। आईटीबी उप-खंड 5.1 में सूचीबद्ध बोली दस्तावेजों का कोई आशोधन, जो बोली पूर्व बैठक के परिणामस्वरूप अनिवार्य बन सकता है, क्रेता द्वारा विशेष रूप से आईटीबी खंड-7 के अनुसरण में एक अनुपूरक को जारी करने के जरिए किया जा सकता है और न कि बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के जरिए।
बोली पूर्व बैठक में भाग न लेना किसी बोलीदाता को अयोग्य ठहराने के का कारण नहीं होगा।

7. बोली दस्तावेजों का संशोधन

7.1 बोलियों को प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय, क्रेता किसी भी कारण से, चाहे वह उसकी अपनी पहल पर हो किसी भावी बोलीदाता द्वारा अनुरोधित किए गए किसी स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया में, बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।

7.2 संशोधन को केवल पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in* के जरिए अधिसूचित किया जाएगा। संशोधन की अधिसूचना के संबंध में संप्रेषण/चेतावनी भी सभी भावी बोलीदाताओं को सीधे पोर्टल द्वारा भेजी जाएगी। बोली दस्तावेजों के संशोधन बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगे और भावी बोलीदाताओं को भेजे गए, पोर्टल के जरिए किए गए संशोधन की अधिसूचना का यह अर्थ माना जाएगा कि बोली दस्तावेजों में किया गया (गए) ऐसा (ऐसे) संशोधन को बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में ध्यान में लाया गया है।

7.3 भावी बोलीदाताओं को अपनी बोली तैयार करते समय संशोधनों को ध्यान में रखने के लिए उन्हें उचित समय प्रदान करने के लिए, क्रेता, अपने विवेकाधिकार पर बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा सकता है, ऐसे मामले में, वह पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in* के जरिए सूचित करेगा जहां सभी भावी बोलीदाता बढ़ी हुई समय सीमा को देख सकते हैं।

ग. बोलियों को तैयार करना

8. बोली की भाषा

8.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली और बोली से संबंधित क्रेता तथा बोलीदाता द्वारा विनिमय किए गए सभी पत्र व्यवहार और दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे। बोलीदाता द्वारा कोई छपी हुई सामग्री किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है बशर्ते ऐसी सामग्री के साथ इसके प्रासंकिग परिच्छेदों का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न हो, ऐसे मामले में, बोली की व्याख्या के प्रतिपादन हेतू अंग्रेजी अनुवाद अभिशासी होगा।

9. बोली को शामिल करने वाले दस्तावेज

9. बोली को शामिल करने वाले दस्तावेज

I. हार्ड कॉपी

प्रथम लिफाफे के भाग के रूप में, सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने के लिए बोलीकी हार्ड कॉपी में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:-

(i) पृथक लिफाफे में आईटीबी के खंड-13, भाग-II के अनुसार बोली प्रतिभूति (मूल में),

(ii) पृथक लिफाफे में आईटीबी के खंड-9.3 (ढ), भाग-II के अनुसरण में सत्यनिष्ठा संधि (मूल रूप में),

(iii) खंड 9.3 (ख) के अनुसार पावर ऑफ अर्टानी

(iv) संयुक्त उद्यम से बोली के मामले में, संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम करार की पावर ऑफ अर्टानी, दोनों मूल में।

बोलीदाता नोट करेंगे कि हार्ड कॉपी में द्वितीय लिफाफे के भाग के रूप में किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

II. **सॉफ्ट कॉपी**

बोली की सॉफ्ट कॉपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने के लिए, उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:-

(क) <u>प्रथम लिफाफे के भाग के रूप में</u>

(i) जैसा कि पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, प्रथम लिफाफे के लिए बोली के इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्र/टेंम्पलेट को भली-भांति भरा जाएगा।

(ii) प्रोग्राम्ड फाइल -संलग्न (संलग्न 1 से 17 और क्यू आर से संबंधित संलग्न सहित बोली प्रपत्र) एमएस एक्सेल फार्मेट में और इसकी पुनरावृति जिसमें विभिन्न संलग्न, सत्यनिष्ठा संधि और प्रथम लिफाफे के लिए बोली प्रपत्र होंगे ।

(iii) आईटीबी के 15.4 पर उल्लिखित सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ।

(ख) <u>द्वितीय लिफाफे के भाग के रूप में</u>

(i) द्वितीय लिफाफे (कीमत-भाग) के लिए बोली के इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्र/टेम्पलेट जिसमें कीमत विवरणों के सारांश से संबंधित विवरण शामिल हैं।

(ii) एमएस एक्सेल फार्मेट कीमत अनुसूची और बोली प्रपत्र और इसकी पुनरावृत्ति में विभिन्न कीमत अनुसूचियां और द्वितीय लिफाफे के लिए बोली प्रपत्र शामिल हैं।

9.1 बोलीदाता द्वारा बोली को बोली प्रक्रिया की ''एकल स्तर-दो लिफाफे'' कार्यविधि के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, बोलीदाता द्वारा दो लिफाफों- <u>प्रथम लिफाफा</u> -(तकनीकी- वाणिज्यिक भाग के

रूप में भी संदर्भित) और द्वितीय लिफाफा (कीमत भाग के रूप में भी उल्लिखित) में प्रस्तुत बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:-

प्रथम लिफाफा:

(क) बोली प्रपत्र (प्रथम लिफाफा) भली-भांति पूरा भरा गया और बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित, सभी संलग्नकों और तकनीकी डाटा शीट्स (खंड-III में उपलब्ध) के सहित, जैसा कि नीचे आईटीबी उप खंड 9.3 में चिन्हित किया गया और पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in* पर अपलोड किया गया है, होना चाहिए।

(ख) ऊपर 1.1 पर उल्लिखित पते पर प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी:-

क. पृथक लिफाफे में आईटीबी के खंड 13, भाग -II के अनुसार बोली प्रतिभूति (मूल में),

ख. पृथक लिफाफे के आईटीबी के खंड 9.3(ढ), भाग-II के अनुसरण में सत्यनिष्ठा संधि (मूल में);

ग. खंड 9.3 (ख) के अनुसार पावर ऑफ अर्टानी;

घ. संयुक्त उद्यम से बोली के मामले में, संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम करार का पावर ऑफ अर्टानी।

द्वितीय लिफाफा:

(क) बोली प्रपत्र (द्वितीय लिफाफा) भली-भांति भरा गया और कीमत अनुसूची सहित (खंड-III में उपलब्ध), जैसा कि पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in*. पर अपलोड किया गया है।

9.2 बोलीदाता नोट करेंगे कि यदि **बीडीएस** के अनुसार अनुमति दी गई है तो वे तकनीकी विनिर्देशनों में विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के भीतर एक वैकल्पिक बोली प्रस्तुत करने के हकदार हैं। ऐसे मामलों में, बोलीदाता बोली के संलग्नक -7 में, पूर्ण विवरण और औचित्य आदि प्रस्तुत करेंगे जैसा कि नीचे उप खंड 9.3 (छ) में इंगित किया गया है।

9.3 बोलीदाता *https://pgcileps.buyjunction.in* पर अपलोड कर निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करेगा और दस्तावेजोंकी हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत करेगा जहां भी इसके तकनीकी-वाणिज्यिक भाग (प्रथम लिफाफा) सहित ऊपर आईटीबी खंड 9.1 में विनिर्दिष्ट तरीक में निर्धारित किया गया है:

(क) संलग्नक 1: बोली प्रतिभूति (यदि आवश्यक हो) ('मूल' हार्ड कॉपी को प्रस्तुत करना)
आईटीबी खंड 13 और आईटीबी खंड 16 के अनुसरण में सीलबंद पृथक लिफाफे में एक बोली प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी।
बोलीदाता बोली प्रतिभूति की हार्ड कॉपी मूल में प्रस्तुत करेगा।

(ख) संलग्नक 2: पावर ऑफ अर्टानी ('मूल' में हार्ड कॉपी को प्रस्तुत करना और स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना)।

एक पावर ऑफ अर्टानी, भली-भांति नोटरीकृत, यह इंगित करते हुए कि बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को बोली पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है (हैं) और इसलिए यह कि बोली आईटीबी खंड 14 के अनुसार में, इसकी वैधताकी पूरी अवधि के दौरान बोली बोलीदाता पर बाध्यकारी है।

उक्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड की जाएगी (संदर्भ नीचे पैरा 15.4)

(ग) संलग्नक 3: बोलीदाता की पात्रता और अर्हता (बोलीदाता की अर्हता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों की स्कैन की गई प्रतियोंकी अपलोडिंग। संयुक्त उद्यम बोली के मामले में, संयुक्त उद्यम करार की 'मूल' में हार्ड कॉपी और संयुक्त उद्यम के लिए पीओए की हार्ड कॉपी को प्रस्तुत करना)।

पूर्व अर्हता अनुपस्थिति में, यह स्थापित करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि बोलीदाता आईटीबी खंड 2 के अनुसार बोली के लिए पात्र है और **अनुबंध – क (बीडीएस)** के अनुसरण में संविदा का निष्पादन करने के लिए, यदि उसकी बोली स्वीकार की जाती है, योग्य है।

बोली के लिए बोलीदाता की पात्रता का दस्तावेजी साक्ष्य क्रेता की संतुष्टि स्थापित करगा कि बोलीदाता, अपनी बोली को प्रस्तुत करने के समय पात्र है, जैसा कि आईटीबी खंड 2 में परिभाषित किया गया है।

यदि उसकी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो संविदा को निष्पादित करने की बोलीदाता की अर्हताओं का दस्तावेजी साक्ष्य क्रेता की संतुष्टि करेगा कि बोलीदाता के पास संविदा को निष्पादित करने के लिए अनिवार्य वित्तीय, तकनीकी, उत्पादन और अन्य क्षमताएं हैं और विशेष रूप से, अनुबंध-क (बीडीएस) में बोलीदाताओं के लिए अर्हता अनिवार्यताओं में प्रस्तुत की गई अनुभव और अन्य मानदंडों को पूरा करता है और इनमें यह भी शामिल होगा:-

बोली को प्रस्तुत करने की तारीख से तुरंत पूर्व इसकी स्वयं की (पृथक) पिछले पांच वर्षों के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षित विवरण के साथ संपूर्ण वार्षिक रिपोर्टें (पृथक)। उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोडकी जाएगी (संदर्भ पैरा 15.4 नीचे)

[**टिप्पणी** I. यदि बोलीदाता एक सहायक कंपनी होने के कारण अपनी स्वयं की (अर्थात पृथक) उक्त सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और इसके खाते इसके समूह/धारक/मूल कंपनी के साथ समेकित हैं, तो बोलीदाताकिसी एक प्राधिकारी द्वारा [(i) बोलीदाता का कानूनी लेखा परीक्षक/ (ii) बोलीदाता का कंपनी सेक्रेट्री और (iii) एक प्राधिकृत सरकारी लेखा परीक्षक] यह भली-भांति सत्यापित करते हुए कि ऐसी सूचना/दस्तावेज लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित हैं, जैसा भी मामला हो,

केवल अपने से संबंधित (न कि अपने समूह/धारक/मूल कंपनी से संबंधित) लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, आय विवरण, अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा।
टिप्पणी II. इसी प्रकार, यदि बोलीदाता कोई समूह/धारक/मूल कंपनी है, तो बोलीदाता को केवल स्वयं (इसकी अधीनस्थ कंपनियों को छोड़कर) अपने से संबंधित उक्त दस्तावेज/सूचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए जो यह सत्यापित करते हुए ऊपर टिप्पणी -1 में उल्लिखित किसी एक प्राधिकारी द्वारा भली-भांति सत्यापित की जाए कि ये सूचनाएं/दस्तावेज लेखा परीक्षित खातों पर आधारित हैं, जैसा भी मामला हो।]

जब तक कि बीडीएस में अन्यथा रूप से उल्लेख न किया जाए, भागीदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत बोलियां, यदि अनुमत हो, अनुबंध - क (बीडीएस) में निर्धारित योग्यता अनिवार्यता के अनुसार निम्नलिखित अनिवार्यताओं का अनुपालन करेगीं :-

(i) बोली में प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए ऊपर यथा वर्णित संलग्नक -3 के लिए अपेक्षित सारी सूचनाएं शामिल होगीं।

(ii) बोली को हस्ताक्षरित किया जाएगा ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

(iii) संविदा के एक प्रमुख संघटक को निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी भागीदारों में से किसी एक को नेता के रूप में पद नामित किया जाएगा; इस प्राधिकरण के साक्ष्य को भाग-VI के प्रपत्र 10 के अनुसार कानूनी रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अर्टानी को बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) संयुक्त उद्यम के किसी एक और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए प्राधिककरण और भुगतान सहित, संविदा का संपूर्ण निष्पादन विशेष रूप से प्रमुख अधिकारी के साथ किया जाएगा, बशर्ते कि संयुक्त उद्यम द्वारा अन्यथारूप से अनुरोध न किया गया हो और क्रेता और प्रमुख के बीच सहमति न हुई हो।

(v) संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार संविदा की शर्तों के अनुसरण में संविदा के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से भी जिम्मेदार होंगे।

(vi) भाग-VI के प्रपत्र - 11 के अनुसार, संयुक्त उद्यम के भागीदारों द्वारा निष्पन्न किए गए करार और अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त और पृथक-पृथक देयताओं के होते हुए भी, उससे जुड़े हुए प्रत्येक भागीदार के उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं के चित्रण की एक प्रति।

(vii) संयुक्त उद्यम (जेवी) करार में योजना, डिजाइन, विनिर्माण और आपूर्ति के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों के उत्तरदायित्वों को हूबहू इंगित किया जाना चाहिए। संविदा के प्रचालनके दौरान जेवी के सभी सदस्योंकी सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। तत्पश्चात इसे क्रेता की पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तन/आशोधित नहीं किया जाना चाहिए; और

किसी संयुक्त उद्यम द्वारा अर्हक बनने के लिए, इसके प्रत्येक भागीदार या भागीदारों के संयोजन को, संविदा के संघटक के लिए व्यैक्तिक बोलीदाता के लिए, संलग्न **अनुबंध – क (बीडीएस)** में अर्हता अनिवार्यता में सूचीबद्ध न्यूनतम मानदंडको पूरा करना चाहिए जिसके लिए वे निष्पादनकरने के लिए पद नामित किए गए हैं। इस अनिवार्यता का पालन करने में असफलता का परिणाम संयुक्त उद्यम बोली को अस्वीकार करने में हो सकता है।

किसी फर्म को केवल एक संयुक्त उद्यम में भागीदार होना चाहिए; भागीदार के रूप में समान फर्म को शामिल करने वाले संयुक्त उद्यमों या संघ द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(घ) संलग्न 4: पात्रता और सुविधाओं की समानरूपता (स्कैन प्रति को अपलोड करना)

आईटीबी खंड 3 के अनुसरण में दस्तावेजी साक्ष्य स्थापित करते हैं कि बोलीदाता द्वारा अपनी बोली या किसी वैकल्पिक बोली में प्रस्तावित माल और संबंधित सेवाएं (यदि आईटीबी उप-खंड-9.2 के अनुसरण में अनुमत है) बोली दस्तावेजों के लिए पात्र और उनके अनुरूप हैं।

माल और संबंधित सेवाओं की पात्रताके दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित माल और संबंधित सेवाओं के मूल के देश पर एक विवरण शामिल होगा जिसकी पुष्टि लदान के समय जारी मूल के देश के प्रमाणपत्र द्वारा की जाएगी।

बोली लगाने के दस्तावेजों के प्रति माल और संबंधित सेवाओं की अनुरूपता का दस्तावेजी साक्ष्य साहित्य, आरेखन और आंकड़े के रूप में हो सकता है और यह निम्न को प्रस्तुत करेगा:-

(i) माल और संबंधित सेवाओं की अनिवार्य तकनीकी और निष्पादन संबंधी विशेषताओं का विस्तृत विवरण;

(ii) क्रेताओं के तकनीकी विनिर्देशन और उन विनिर्देशनों के प्रति सुविधाओं की उल्लेखनीय अनुकूलता को प्रदर्शित करने वाले पर्याप्त साक्ष्य पर टिप्पणी। बोलीदाता यह नोट करेंगे कि बोली दस्तावेजों में क्रेता द्वारा नामित शिल्प, सामग्रियों और उपस्कर के लिए मानकों को केवल विवरणात्मक होना चाहिए (गुणवत्ता और निष्पादन के मानकों को स्थापित करते हुए) न कि प्रतिबंधात्मक, बोलीदाता अपनी बोली में वैकल्पिक मानकों, ब्रांड नाम और/या कैटलॉग संख्या को प्रतिस्थापित कर सकता है बशर्ते कि यह क्रेता की संतुष्टि के अनुरूप प्रदर्शन करता हो कि प्रतिस्थापन उल्लेखनीय रूप से तकनीकी विनिर्देशनों में स्थापित मानकों के समकक्ष या उत्कृष्ट है।

(iii) प्रस्तावित बिक्री पश्चात सेवा समर्थन से संबंधित सारे विवरण।

(iv) बोली दस्तावेज में निर्धारित प्रश्नावली, यदि कोई हो, में सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर।

(v) तकनीकी विनिर्देशनों, खंड-II के अनुसरण में प्रस्ताव की अनुकूलता को स्थापित करने वाले विवरण।

(ड.) संलग्नक 5: बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित उप संविदाकार बोलीदाता अपनी बोली में आपूर्ति या सेवाओं की उन सभी प्रमुख मदों का विवरण शामिल करेगा जो इन्हें क्रय करने या किराए पर देने का प्रस्ताव करता है और उन मदों में से प्रत्येक के लिए विक्रेता सहित, प्रस्तावित उप संविदाकारों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता का विवरण देगा। बोलीदाता माल और संबंधित सेवाओं की प्रत्येकमद के प्रति एक से अधिक उप संविदाकार को सूचीबद्ध करने के लिए स्वतंत्र है। उनकी भागीदारीकी पक्षकारों के बीच आशय पत्र द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। जैसा कि संलग्न 8 में अनिवार्य बताया गया है। चाहे जिस भी उप संविदाकारी को नियुक्त किया जाए उद्धरित दरों और कीमतों को लागू हुआ माना जाएगा और दरों व कीमतों के किसी समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोलीदाता यह सुनिश्चति करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कोई प्रस्तावित उप संविदाकार आईटीबी खंड 2 की जरूरतों का अनुपालन करता है और यह कि उप संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली माल या सेवाएं अनुबंध-क और तकनीकी विनिर्देशनों, ,खंड - II में दिए गए उप संविदाकारोंया उप-विक्रेताओं के लिए अर्हता अनिवार्यताओं के रूप में संलग्न, बोलीदाता के लिए अर्हता अनिवार्यता और आईटीबी खंड 3 की जरुरतों का अनुसरण करती है।

क्रेता संविदा को प्रदान किए जाने से पूर्व सूची से किसी प्रस्तावित उप संविदाकार का नाम हटाने का अधिकार रखता है और क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच विचार-विमर्श के पश्चात, संबंधित प्रत्येक मद के लिए अनुमोदित उप संविदाकारों को सूचीबद्ध करते हुए संविदा करार के प्रपत्र का तदनुरूपी परिशिष्ट पूरा भरा जाएगा।

उक्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोडकी जाएगी (संदर्भ नीचे पैरा 15.4)।

(च) संलग्नक 6: परिवर्तन

बोलियों के मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए निबंधन और शर्तों या तकनीकी विनिर्देशनों से परिवर्तनों, यदि कोई हो, को बोली के संलग्नक-6 में सूचीबद्ध किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा ऐसे परिवर्तनों के लिए वापसी की लागत को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। तथापि, बोलीदाताओं का ध्यान बोलियों की अस्वीकृति से संबंधित आईटीबी उप-खंड 22.3 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो बोली दस्तावेजों की आवश्यकता के प्रति उल्लेखनीय रुप से प्रतिक्रियाशील नहीं है।

बोलीदाता का ध्यान आईटीबी उप-खंड 2.3.1 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

(छ) संलग्नक 7: वैकल्पिक बोलियां

(i) वैकल्पिक समय अनुसूची के साथ बोली स्वीकार्य नहीं है।

(ii) सिवाय इसके, जैसाकि नीचे उप (iii) के अंतर्गत उपलब्ध कराया है, बोली दस्तावेजों की आवश्यकताओं के लिए तकनीकी विकल्पों को प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले बोलीदाता को पहले बोली दस्तावेजों में क्रेता के यथावर्णित माल और संबंधित सेवाओं के डिजाइन की कीमत लगानी चाहिए और उसके बाद उसे क्रेता द्वारा विकल्पों के संपूर्ण मूल्यांकन के लिए अनिवार्य सारी सूचना उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें आरेखन, अभिकल्प संगणनाएं, तकनीकी विशिष्टताएं, कीमतों का ब्यौरा और अन्य संगतविवरण शामिल हैं। केवल आधारभूत तकनीकी अनिवार्यताओं के अनुरुप निम्नतम मूल्यांकित बोलीदाता के तकनीकी विकल्पों, यदि कोई हो, पर क्रेता द्वारा विचार किया जाएगा।

(iii) जब बोलीदाता को माल और संबंधित सेवाओं के विशिष्ट भागों के लिए वैकल्पिक तकनीकी समाधानों को प्रस्तुत करने के लिए आईटीबी उप-खंड 9.2 के अनुसार अनुमति दी जाती है तो तकनीकी विनिर्देशनों और आरेखनों में ऐसे भागों का वर्णन किया जाएगा। तकनीकी विनिर्देशन जो माल और संबंधित सेवाओं के लिए विनिर्दिष्ट निष्पादन और तकनीकी विकल्पों का अनुपालन करते हैं क्रेता द्वारा उपर आईटीबी उप-खंड 24.2 के अनुसरण में उन के स्वयं के योग्यता मापदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ज) संलग्नक 8: विनिर्माता का प्राधिकरण प्रपत्र।

उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड की जाएगी। (संदर्भ नीचे पैरा 15.4)

(झ) संलग्नक 9: कार्य समापन अनुसूची ।

कार्य समापन अनुसूची के लिए बार चार्ट संलग्न करें।

उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड की जाएगी। (संदर्भ नीचे पैरा 15.4)

(ञ) संलग्नक 10: गारंटी घोषणा।

उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड की जाएगी। (संदर्भ नीचे पैरा 15.4)

(ट) संलग्नक 11: बोलीदाता की फर्म में क्रेता के भूतपूर्व कर्मचारियों से संबंधित सूचना।

(ठ) संलग्नक 12: कीमत समायोजन आंकड़े।

(ड) संलग्नक 13: सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित घोषणापत्र।

(ढ) संलग्नक 14: सत्यनिष्ठा संधि *('मूल' में हार्ड कॉपी की प्रस्तुती)*

बोलीदाता संलग्न सत्यनिष्ठा संधि को पूरा भरेगा, इसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोली पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और जिसे भली-भांति अभिलेखित 'सत्यनिष्ठा संधि' के साथ एक पृथक लिफाफे में तकनीकी-वाणिज्यिक भाग सहित दो(2) मूल प्रतियों में बोलीदाता द्वारा वापस किया जाएगा, जो बोली और संविदा निष्पादन के लिए प्रयोज्य होंगी।

बोलीदाता 100/- रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सत्यनिष्ठा संधि को प्रस्तुत करेगा। अपेक्षित संधि फाइल अटैचमेंट (एक्सेल फार्मेट में) में संलग्न -14- सत्यनिष्ठा संधिके रूप में स्वत: ही प्रस्तुत होती है। बोलीदाता ऊपर विचार-विमर्श किए गए अनुसार संलग्न -14- सत्यनिष्ठा संधि में वर्णन किए गए अनुसार दो प्रतियों में प्रिंट आउट निकालेगा।
यदि बोलीदाता एक भागीदार फर्म या एक सह-संघ है, तो सत्यनिष्ठा संधि पर सभी भागीदारों या सह-संघ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोली के साथ या तत्पश्चात मूल रूप में भली-भांति हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा संधि को प्रस्तुत करने में बोलीदाता की असफलता का परिणाम बोली आईटीबी उप- खंड 21 के अनुसरण में को तत्काल अस्वीकृत करने में होगा।

(ण) संलग्नक 15: आरंभिक अग्रिम (या तो ब्याज सहित आरंभिक अग्रिम या कोई आरंभिक अग्रिम नहीं) और सूक्ष्म/लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में घोषणा और ई- भुगतान, पीएफ ब्यौरों के लिए विकल्प।

नमूना चैक (कैंसिल किया गया) की स्कैन की गई प्रति भी अपलोड की जाएगी (संदर्भ नीचे पैरा 15.4)।

इस संलग्न में, बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि क्या बोलीदाता ऊपर बताए गए अनुसार अन्य सूचनाओं को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ब्याज सहित आरंभिक अग्रिम को चुनना चाहेगा।

(त) संलग्न 16:अतिरिक्त सूचना (स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना, यथा प्रयोज्य)

(i) बोलीदाता को स्वीकृत विभिन्न निधि आधारित/गैर-निधि आधारित सीमाओं और अद्यतन तारीख तक उनके उपयोग की सीमा को इंगित करते हुए उनके बैंकर(र्स) से जारी प्रमाणपत्र (भाग VI:नमूना प्रपत्र और कार्यविधियों के प्रपत्र में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार)। ऐसा प्रमाणपत्र बोली खोलने की तारीख से तीनमहीने से पूर्व जारी किया गया नहीं होना चाहिए। जहां भी जरूरी हो, क्रेता बोलीदाता के बैंकरों से प्रश्न कर सकता है।

(ii) पिछले पांच वर्षों में इसके द्वारा पूरे किए गए या निष्पादन अधीन संविदाओं से उत्पन्न किसी मुकदमें या माध्यम पर विस्तृत सूचना। बोलीदाता के संयुक्त उद्यम के किसी भागीदार के विरुद्ध मुकदमें सहित पंचाट के सतत इतिहास का परिणाम बोली की अस्वीकृति में हो सकता है।

(iii) कोई अन्य सूचना जो बोलीदाता प्रस्तुत करने का अभिप्राय रखता है।

उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाएगी।
(संदर्भ – नीचे पैरा 15.4)

(थ) संलग्नक 17: घोषणा

10. बोली प्रपत्र और कीमत अनुसूचियां

10.1 बोलीदाता आईटीबी खंड 11 और 12 की अनिवार्यताओं के अनुसरण में जैसा कि उनमें इंगित किया गया है, बोली दस्तावेजों में प्रस्तुत की गई समुचित कीमत अनुसूचियों और बोली प्रपत्र (प्रपत्रों) को पूरा करना।

11. बोली कीमतें

11.1 जबतक कि तकनीकी विनिर्देशनों में अन्यथा रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो, बोलीदाता इस प्रकार ''एकल उत्तरदायित्व'' आधार पर संपूर्ण माल और संबंधित सेवाओं के लिए दरें उद्धरित करेगा कि कुल बोली कीमत में बोली में उल्लिखित आपूर्तिकर्ता की सारी बाध्यताएं शामिल होंगी अथवा अभिकल्प, विनिर्माण, अधिप्राप्ति और उप संविदा (यदि कोई हो) तथा माल की डिलीवरी के संबंध में बोली दस्तावेज से उचित रूप से अनुमानित होनी चाहिए। इसमें माल के परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्वों के तहत सभी अनिवार्यताएं शामिल हैं। बोली दस्तावेज में जहां भी इनकी जरुरत हो, सभी परमिटों, अनुमोदनों और लाइसेंस आदि और ऐसी अन्य मदों और सेवाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट की गई हों। जिन मदों के लिए बोलीदाता द्वारा कोई कीमत प्रविष्ट नहीं की गई है, उनका निष्पादन किए जाने पर क्रेता द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और उन्हें अन्य मदों की कीमतों में शामिल किया गया माना जाएगा।

11.2 बोलीदाताओं द्वारा बोली दस्तावेजों में आरेखित वाणिज्यिक संविदात्मक और तकनीकी बाध्यताओं के लिए कीमत उद्धरित करना अपेक्षित है। यदि कोई बोलीदाता उनमें परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसा परिवर्तन उसकी बोली के संलग्न 6 में सूचीबद्ध किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा ऐसे परिवर्तन के लिए वापसी की लागत को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

11.3 बोलीदाता कीमत अनुसूची में मांगे गए तरीके में और ब्यौरे में कीमतों का ब्यौरा देगा। जहां बोली दस्तावेजों में कोई कीमत अनुसूचियां शामिल नहीं की गई हैं, वहां बोलीदाता निम्नलिखित तरीके में अपनी कीमतें प्रस्तुत करेगा:-

निम्नलिखित संघटकों में से प्रत्येक के लिए पृथक क्रमांकित अनुसूचियों का प्रयोग किया जाएगा। बोली प्रपत्रमें प्रविष्टि किए जाने के लिए, अनुसूची 1 से 4 तक प्रत्येक अनुसूची में कुल धनराशि का कीमत प्रस्ताव (अनुसूची 5) के कुल सार में कुल बोली कीमत (कीमतों) को बताते हुए सारांश रुप में प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुसूची 1 प्रकार (टाइप) परीक्षण प्रभारों सहित आपूर्ति किए जाने के लिए माल।

अनुसूची 2 माल की आपूर्ति के लिए प्रयोज्य स्थानीय परिवहन, बीमा और अन्य प्रासंगिक सेवाएं।

अनुसूची 3 संस्थापना सेवाओं का पर्यवेक्षण

अनुसूची 4 अनुसूची 1से3 में शामिल न किए गए कर और शुल्क

अनुसूची 5 कुल सारांश (अनुसूचीसं. 1 से 4)

अनुसूची 6 प्रकार (टाइप) परीक्षण प्रभारों का ब्यौरा

11.3.1 (i) मदें जिनके लिए एकमुश्त या खेप या सेट के रुप में मात्रा इंगित की गई हैं के और/या (ii) जहां बोलीदाता द्वारा मात्रा अनुमानित की जानी हैं, के लिए बोली कीमतें स्थिर बनी रहेंगी, जब तक कि क्रेता द्वारा कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन न किए जाएं। मात्राओं और यूनिट कीमतों पर (i) मात्रा बिल (बीओक्यू) / एक मुश्त मात्राओं/खेप/सेट के बिलिंग ब्यौरे को अनुमोदित करते समय प्रस्तुत की जाएंगी, और/या (ii) बोली दाता द्वारा अनुमानित मात्रा और यूनिट कीमतें केवल खाता भुगतान प्रयोजन के लिए होंगी। यदि तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार कार्य क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए मात्रा बीओक्यू/बिलिंग ब्यौरे और/या बोलीदाता द्वारा अनुमानित मात्राके अतिरिक्त, फालतू मात्रा की आवश्यकता होती है तो बोलीदाता इन मदों की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करेगा जिसके लिए एकमुश्त बोली कीमत के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी। यदि, कार्य के क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा आधिक्य में है तो ऐसी अतिरिक्त मात्रा बोलीदाताओं की संपत्ति होगी और उन्हें स्थल से इसे वापस ले जाने की अनुमति होगी जिसके लिए एकमुश्त बोली कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कार्यक्षेत्र के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए मात्राओं की वास्तविक आवश्यकता अनुमोदित बीओक्यू/बिलिंग ब्यौरे और/या बोलीदाता द्वारा के अनुमान में पहचानी गई मात्राओं की तुलना में कम है तो एकमुश्त बोली कीमत अपरिवर्तित बनी रहेगी और मात्रा की ऐसी कटौती के कारण एकमुश्त कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

11.3.2 ऐसी अधिशेष सामग्री के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सारे सांविधिक करों, शुल्कों और लेवी अदा करने का उत्तरदायित्व बोलीदाताओं का होगा जो अन्यथा कानूनी रुप से भुगतान योग्य होता है। क्रेता द्वारा बोलीदाता को ऐसी सामग्री के जारी किए जाने से पहले बोलीदाता क्रेता को किसी देयता से सुरक्षित रखने के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करेगा।

11.3.3 सैट/खेप/एकमुश्त को तकनीकी विनिर्देशनोंके संगत प्रवधानों के संयोजन में पठित तदनुरुपी मदों को विवरण की आवश्यकताओं के अनुसार अभिशासित किया जाएगा।

11.4 अनुसूचियों में, बोलीदाता निम्नानुसार अपनी कीमतों का अपेक्षित विवरण और एक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा:-

(क) आपूर्ति किए जानेवाले माल को ईएक्सडब्ल्यू (यथा प्रयोज्य कारखानागत, पूर्व-कार्य, पूर्व गोदाम या मौजूदा स्टॉक) आधार पर उद्धरित किए जाएंगे और प्रकार परीक्षण प्रभारों (किसी भारतीय बोलीदाता के मामले में विदेश में आयोजित किए जाने के लिए टाइप परीक्षण सहित) को भी अनुसूची-1 में उद्धरित किया जाएगा।
क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच प्रत्यक्ष लेन-देन के संबंध में, ईएक्सडब्ल्यू कीमत में माल में शामिल या शामिल की जानेवाली खपत के लिए प्रयुक्त संपूर्ण लागत तथा संघटकों, कच्ची सामग्रीऔर अन्य मदों पर अदा किए गए या अदायगी योग्य शुल्क और अन्य कर (अर्थात सीमा शुल्क और लेवी, शुल्कों, बिक्री कर/वैट आदि) शामिल होंगे।

गंतव्य स्थल/ राज्य के लिए यथा प्रयोज्य चुंगी/प्रवेश कर सहित प्रत्यक्ष लेन-देन के तहत माल के लिए बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर और अन्य लेवी को ईएक्सडब्ल्यू कीमत में शामिल नहीं किया जाएगा किंतु अनुसूची 4 के संबंधित कॉलम में जहां भी प्रयोज्य हो, इसे इंगित किया जाएगा।

उत्पाद शुल्क और/या वैट को शामिल न करके जहां भी ईएक्सडब्ल्यू का उद्धरण किया जाता है, तब सेनवेट (केंद्रीय मूल्य वर्धित कर) नीतियों के अनुसार, जहां भी प्रयोज्य होगा, बोली कीमत को उद्धरित करते समय बोली दाता इसे ध्यान में रखा जाएगा।

खरीदी गई तैयार मदों के संबंध में, जो उप-विक्रेता के कार्य-स्थल से कार्यकर्ता के स्थल (पारगमन में बिक्री) को प्रेषण किया जाएगा, ईएक्सडब्ल्यू कीमत में सारी लागत तथा अदा किए गए या अदायगी योग्य शुल्क और कर (अर्थात सीमा शुल्क और लेवी, शुल्क, बिक्री कर/वैट आदि) शामिल होंगे। ईएक्सडब्ल्यू कीमत को उद्धरित करते समय जिसमें उत्पाद शुल्क और/या वैट शामिल होंगे, बोलीदाता द्वारा सेनवेट (केंद्रीय मूल्यवर्धित कर)/वैट योजना के अंतर्गत देय क्रेडिटको संगत सरकारी नीतियों के अनुसार, जहां भी प्रयोज्य हो, ध्यान में रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित (i)'मौजूदा स्टॉक' (ऑफ द शेल्फ) के रूप में आयातित माल या पोतावरोहण के भारतीय पत्तन से सीधे प्रेषित और/या (ii) 'मौजूदा स्टॉक' (ऑफ द शेल्फ) के रूप में खरीदी गई तैयार वस्तुएं या बोली दाता के कार्य स्थल से सीधे प्रेषित किए गए माल में सारी लागत साथ ही अदा किए गए या अदायगी योग्य शुल्क और कर (अर्थात सीमा शुल्क और लेवी, शुल्क, बिक्री कर/वैट आदि) शामिल होंगे। तथापि, गंतव्य स्थल/राज्य के लिए यथा प्रयोज्य चुंगी/प्रवेश कर को ई एक्सडब्ल्यू कीमत में शामिल नहीं किया जाएगा किंतु अनुसूची-4 के संबंधित कॉलम में अलग से इंगित किया जाएगा।

भारत के भीतर आपूर्ति किए जाने वाले संपूर्ण माल के लिए अपेक्षित बिक्री कर घोषणा प्रपत्र को क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) माल की डिलीवरी के संगत स्थानीय पारागमन, बीमा और माल की अन्य सेवाओं को अनुसूची -2 में अलग से उद्धरित किया जाएगा।

(ग) संस्थापना के लिए पर्यवेक्षण प्रभारों को अलग से उद्धरित किया जाएगा (अनुसूची-3) और इसमें सारे श्रम, क्रेता के उपकरण, अस्थायी निर्माण कार्य, सामग्रियों, उपभोक्ता वस्तुएं और किसी भी स्वरूप के सारे मामले और वस्तुएं, प्रचालनों के प्रावधान और अनुरक्षण नियमावली आदि शामिल होंगे जहां भी सभी संस्थापन सेवाओं के उचित निष्पादन के लिए यथा अनिवार्य बोली दस्तावेजों में उन्हें पहचाना गया हो सिवाय उनके, जिनकी कीमत अन्य अनुसूचियों में निर्धारित की गई है

(घ) प्रकार (टाइप) परीक्षण प्रभारों के ब्यौरों को अनुसूची-6 में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ड.) बोलीदाता अपनी उद्धरित बोली कीमत में यथा प्रयोज्य इस पर सेवा कर और अधिभार/उपकर आदि को शामिल करेगा और क्रेता इस कारण किसी भी प्रकार की देयता को वहन नहीं करेगा। क्रेता (अथवा स्वामी की ओर से क्रेता), तथापि नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसे कर की कटौती करेगा और आपूर्ति कर्ता को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करेगा

(च) बोलीदाता भाग - IV: संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) और परिशिष्ट - 3, संविदा करार के प्रपत्र के प्रति बीमा अनिवार्यताओं जैसा कि भाग VI: बोली दस्तावेजों के नमूना प्रपत्रों और कार्य विधियों (फार्मस) में यथा अंतर्निहित किया गया है, उल्लिखित बीमा अनिवार्यता के अनुसार अपनी बोली कीमतों में बीमा प्रभारों को शामिल करेगा।

(छ) बोलीदाता अनुसूची 1 से 6 की वर्कशीट (कार्य पत्रक) और छूट, प्रवेश कर, अन्य करों और शुल्कों तथा बोली प्रपत्र में केवल चिन्हित कोष्ठकों (हरे रंग में आच्छादित) को ही भरेगा। बोलीदाता किसी अन्य कोष्ठक में कोई आशोधन या परिवर्तन कार्यान्वित नहीं करेगा। अपेक्षित संगणाएं अनुसूची 4 (कुल सारांश) अनुसूची-4 (छूट के बाद) (कुल सारांश छूट के बाद) और बोली प्रपत्र की संबंधित वर्कशीट में स्वत: ही कार्यान्वित हो जाएंगे।

11.4.1 छूट के द्वारा कीमत अनुसूची में पहले ही भरी गई कीमतों में कटौतियों को प्रभावी बनाने में बोलीदाता को सक्षम बनाने के लिए, कीमत अनुसूची के भाग के रूप में 'छूट पत्र' शीर्षक से एक वर्कशीट शामिल की गई है। बोलीदाता या तो एकमुश्त आधार पर या प्रतिशत आधार पर छूट को भरने के द्वारा कटौतियों को प्रभावी कर सकता है जिसे यातो कुल कीमतपर या एक या अधिक कीमत अनुसूची (अनुसूचियों) पर लागू किया जा सकता है।

बोलीदाता यह नोट कर सकते हैं कि यदि वे वर्क शीट ''छूट पत्र'' में क्रम संख्या 1 से 4 के अनुसार बहु-प्रयोजनीय छूट प्रस्तावित करते हैं तो संबंधित मदों की आधार कीमतों पर वे सारी छूटें एक साथ लागू होंगी जिनपर बोलीदाता ने छूट

(छूटों) का प्रस्ताव किया है अर्थात सारी छूटों के बारे में ऐसी मदों की उद्धरित कीमतों पर एक साथ विचार किया जाएगा (जैसा कि छूट के बिना बोलीदाता द्वारा उद्धरित किया गया है)। तदनुसार घटी हुई कीमतों को वर्कशीट ''अनुसूची-5 (छूट के पश्चात)'' में दर्शाया जाएगा।

बोलीदाता अपने तरीके से वर्कशीट में छूट का प्रस्ताव कर सकताहै, यदि प्रयोज्य हो तो। बोलीदाता, यदि प्रयोज्य हो तो, बहु पैकेज छूट का प्रस्ताव भी कर सकता हे, जैसा कि वर्कशीट में उपलब्ध कराया गया है।

11.5 कीमतें निम्नलिखित के अनुसार होंगी :-

समायोज्य कीमतें: बोलीदाता द्वारा उद्धरित कीमतें संविदा करार के प्रपत्र के तदनुरुपी परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार श्रम, सामग्री आदि जैसे लागत तत्वों में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए संविदा के निष्पादन के दौरान समायोजन के अध्यधीन होंगी। निर्धारित कीमत उद्धरण के साथ प्रस्तुत किसी बोली को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, किंतु कीमत समायोजन को शून्य माना जाएगा। बोली मूल्यांकन में कीमत समायोजन प्रावधान पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं द्वारा संलग्न :12 में सूचित श्रम और सामग्रियों के स्रोत को इंगित किए जाने की जरूरत है।

12. बोली की मुद्रा

12.1 कीमतें केवल भारतीय रुपयों में उद्धरित की जाएगी।

13. बोली प्रतिभूति

13.1 बोलीदाता अपनी बोली के भाग के रूप में, ऐसी राशि और मुद्रा में बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जैसा कि बीडीएस में निर्धारित किया गया है। बोली प्रतिभूति को बोली दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

13.2 बोली प्रतिभूति, बोलीदाता के विकल्प पर, किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंक, जैसा कि बीडीएस में निर्धारित किया गयाहै से क्रयकर्ता के पक्ष में क्रॉसड बैंक ड्राफ्ट/पे आडर्स/बैंक सर्टीफाइड चैक या बोलीदाता द्वारा चुने गए और भारत में स्थित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में होगी। बैंक गारंटी का फार्मेट बोली दस्तावेजोंमें शामिल किए गए बोली प्रतिभूति के प्रपत्रके अनुसरण में होगा। बोली प्रतिभूति मूल बोली वैधता अवधि के बाद और आईटीबी उप खंड 14.2 के तहत तदनुरूपी अनुरोधित किसी विस्तार के बाद तीस (30) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

13.3 किसी बोली के साथ बोली प्रतिभूति को संलग्न न किए जाने या स्वीकार किए जाने योग्य बोली प्रतिभूति संलग्न करने पर उसे आईटीबी उप-खंड 22.4 के अनुसरण में गैर-प्रति-क्रियाशील होने के कारण अस्वीकृत कर दिया जाएगा।किसी

संयुक्त उद्यम की बोली प्रतिभूति बोली प्रस्तुत करने वाले संयुक्त उद्यम में सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए।

13.4 असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियों को यथा संभव अतिशीघ्र वापस कर दिया जाएगा किंतु बोली वैधता अवधि के समाप्त होने के अधिकतम अठाइस (28) दिन के बाद नहीं।

13.5 सफल बोलीदाता द्वारा ऐसी पर्याप्त अवधि के लिए अपनी बोली प्रतिभूति को वैध रखने की जरूरत होगी जब तक कि आईटीबी खंड 34 के अनुसरण में क्रेता की तुष्टि के लिए निष्पादन प्रतिभूति (यों) प्रस्तुत नहीं की जाती। आईटीबी खंड-33 के अनुसरण में, सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति को बोलीदाता द्वारा संविदा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद और आईटीबी खंड 34 के अनुसरण में, अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूतिको प्रस्तुत किए जाने के बाद वापस किया जाएगा।

13.6 बोली प्रतिभूति को जब्त किया जा सकता है:-

(क) यदि बोलीदाता बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली को वापस लेता है; अथवा

(ख) यदि बोलीदाता संलग्न-बोली की घोषणा में उसके द्वारा की गई घोषणा/पुष्टि के अनुसरण में वापसी/परिशोधनों को स्वीकार करता है और/या बोली में उसके द्वारा बताएगए वापसी की कीमत पर उसके द्वारा प्रस्तावित अंतरों, यदि कोई हो, को वापस नहीं लेता; अथवा

(ग) यदि कोई बोलीदाता आईटीबी उप-खंड 27.2 के अनुसरण में उसकी बोली के प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान चिन्हित गणितीय त्रुटियों के संशोधनों को स्वीकार नहीं करता; अथवा

(घ) यदि, अर्हता अनिवार्यताओं की जरूरत के अनुसार, बोलीदाता द्वारा संयुक्त वचनबद्धता बंधपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और वह बोली-पश्चात विचार-विमर्श की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर, उस देश में भारतीय दूतावास/उच्चायोग के पास पंजीकृत या संबंधित निष्पादक (कों) के स्थान (स्थानों) के नोटरी पब्लिक द्वारा भली-भार्ति सत्यापित डीड को प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ड.) सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर असफल रहता है :-

(i) आईटीबी खंड 33 के अनुसरण में संविदा करार पर हस्ताक्षर करने में, अथवा

(ii) आईटीबी खंड 34 के अनुसरण में जरूरी निष्पादन प्रतिभूति को प्रस्तुत करने में और/या आईटीबी उप खंड 13.5 की आवश्यकता के अनुसार बोली प्रतिभूति को वैध रखने में।

13.7 उक्त बोली सुरक्षा पर क्रेता द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

14. बोली की वैधता की अवधि

14.1 बोलियां आईटीबी उप-खंड 20.1 के अनुसरण में, क्रेता द्वारा निर्धारित, तकनीकी-वाणिज्यिक भाग अर्थात प्रथम लिफाफा को खोलने की तारीख के बाद छः महीनों की अवधि के लिए वैध बने रहेंगे। इसमें कम अवधि के लिए वैध बोली को गैर-प्रतिक्रियाशील होने के कारण क्रेता द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

14.2 अपवादिक स्थितियों में, क्रेता बोली वैधता अवधि के विस्तार के लिए बोलीदाता की सहमति के लिए अनुरोध कर सकता है इससे संबंधित अनुरोध और उत्तर लिखित में या केबल द्वारा दिए जाएंगे। यदि कोई बोलीदाता वैधता की अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत हो जाता है तो बोली प्रतिभूति को भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। बोलीदाता अपनी बोली प्रतिभूति को जब्त कराए बिना अनुरोध से इंकार कर सकता है। अनुरोध को स्वीकृति देने वाले किसी बोलीदाता को अपनी बोली को परिशोधित करने की जरुरत अथवा अनुमति नहीं होगी।

15. बोली का फार्मेट और उसपर हस्ताक्षर करना

15.1 बोलीदाता आईटीबी खंड 9.0 में बताए गए तरीके में बोली को तैयार करेगा और निम्नलिखित तरीके में बोली को प्रस्तुत करेगा:-

प्रथम लिफाफा:

(i) प्रथम लिफाफे (तकनीकी-वाणिज्यिक) के लिए बोली का इलैक्ट्रॉनिक-प्रपत्र/टेम्पलेट, जैसा कि पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, भली-भांति भरा जाएगा।

प्रथम लिफाफे की बोलियों को खोले जाने के पश्चात, भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा इन इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्रों/टेम्पलेट्स को देखा जा सकता है।

स्कैन किए गए संगत दस्तावेजों (संदर्भ आईटीबी खंड 15.4) सहित आईटीबी खंड 9 में सूचीबद्ध दस्तावेजों को सम्मिलित करने वाली बोली की सॉफ्ट कॉपी केवल पोर्टल के जरिए अपलोड की जाएगी। किसी भी स्थिति में, किसी अन्य साधनों द्वारा किन्हीं दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी की प्रस्तुति को क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) निम्नलिखित की हार्ड कॉपी:

क) पृथक लिफाफे में आईटीबी के खंड 13, भाग - II के अनुसार बोली प्रतिभूति (मूल में) ;

ख) पृथक लिफाफे में आईटीबी के खंड 9.3 (द), भाग - II के अनुसार सत्यनिष्ठा संधि (मूल में);

ग) खंड 9.3 (ख) के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी;

घ) संयुक्त उद्यम से बोली के मामले में, संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम करार की पावर ऑफ अटार्नी;

<u>द्वितीय लिफाफा:</u>

(i) दूसरे लिफाफे (कीमत-भाग) के लिए बोली के इलैक्ट्रॉनिक फार्म/टेम्पलेट, जिनमें कीमत विवरणों के सारांश से संबंधित विवरण शामिल होंगे।

द्वितीय लिफाफे की बोलियों को खोले जाने के पश्चात सभी सहभागी बोलीदाताओं द्वारा इन इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्रों/टेम्पलेट्स को देखा जा सकेगा। बोलीदाताओं को नोट करना चाहिए कि इन इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा उद्धरित कीमतों के बावजूद, क्रेता बोली दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसरण में बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन और संविदा प्रदान करने के प्रयोजन हेतू कीमतों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आईटीबी खंड 11 के अनुसार कीमत अनुसूची की सॉफ्ट कॉपी को पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा। किसी भी स्थितिमें क्रेता द्वारा किसी अन्य साधन द्वारा दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी की प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी

15.2 बोली में किसी प्रकार के परिवर्तन, त्रुटि या परिवर्धन नहीं किए जाएंगे, जब तक कि ऐसे संशोधनों को बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित न किया जाए।

15.3 बोलीदाता, इस बोली से संबंधित एजेंटों को अदा की गई या अदा की जाने वाली कमीशनया उपदानों, यदि कोई हो और संविदा निष्पादन के लिए, यदि बोलीदाता को संविदा प्रदान की जाती है, के संबंध में बोली प्रपत्र के अंतिम पैराग्राफ में यथा वर्णित सूचना प्रस्तुत करेगा।

15.4 निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची स्कैन की जाएगी और पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र. सं.	**दस्तावेजों का विवरण**	**पोर्टल पर आलोड किए जाने वाले फाइल का नाम**
1.	पावर ऑफ अटार्नी	poa.pdf
2.	कानूनी स्थति की संरचना	legal.pdf
3.	कारोबार का मुख्य स्थान	principal.pdf
4.	निगमन का स्थान अथवा पंजीकरण का स्थान और मालिक की राष्ट्रीयता	incorporation.pdf
5.	यूटिलिटी द्वारा जारी तकनीकी अनुभव प्रमाणपत्र	techexp.pdf
6.	वित्तीय बैलेंस शीट (पिछले पांच वर्षों का)	balsheet.pdf
7.	तकनीकी जीटीपी	gtp.pdf
8.	टाइप टेस्ट रिपोर्ट	ttreport.pdf
9.	बैंक प्रमाणपत्र	bank.pdf
10.	विनिर्माता का प्राधिकरण	manuauth.pdf
11.	कार्य अनुसूची (बार-चार्ट)	barchart.pdf

क्र. सं.	दस्तावेजों का विवरण	पोर्टल पर आलोड किए जाने वाले फाइल का नाम
12.	गारंटी घोषणापत्र	guarantee.pdf
13.	आधारभूत कीमत सूचकांक के लिए दस्तावेजी साक्ष्य	pvindex.pdf
14.	कैंसल किया हुआ चेक	cheque.pdf
15.	अन्य दस्तावेज	other.pdf

1. बोलीदाता उनकी पहचान के लिए एक 'अंडर - स्कोर' के द्वारा भूमिका के रूप में प्रत्येक फाइल के लिए तीन (03) चरित्र पर-प्रत्यय में रख सकता है। (उदाहरण- poa_xyz.pdf)
2. यदि, समान शीर्ष के अंतर्गत अधिक फाइलों को अपलोड किया जाना है तो बोलीदाता द्वारा सांख्यिकी पर-प्रत्यय रखे जा सकते हैं। (उदाहरण - poa1_xyz.pdf, poa2_xyz.pdf, poa3_xyz.pdf……….).
3. किसी अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता उपसर्ग 'अन्य'के रूप में 'अंडर-स्कोर 'के द्वारा परवर्ती के साथ फाइल के नाम का निर्णय दस्तावेज के संक्षिप्त नाम के रूप में करेगा (उदाहरण - other_ISO certificate1_xyz.pdf, other_ISO certificate2_xyz.pdf ………)
4. पोर्टल पर समर्थित फाइलों के अन्य प्रकारों के लिए, कृपया पोर्टल पर संबंधित प्रावधानों का संदर्भ लें।

घ. बोलियों की हार्ड कॉपी की प्रस्तुती करना।

16. बोलियों को सीलबंद करना और चिन्हित करना

16.1 बोलीदाता पोर्टल के प्रावधानों के अनुसार बोली की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेगा और निम्नलिखित तरीके में भली-भांति चिन्हित प्रथम लिफाफे (तकनीकी - वाणिज्यिक भाग), में बोली प्रतिभूति, सत्यनिष्ठा संधि, पावर ऑफ अटार्नी, संयुक्त उद्यम करार (यथा प्रयोज्य) और संयुक्त उद्यम करार की पावर ऑफ अटार्नी (यथा प्रयोज्य) संयुक्त वचनबद्धता बंधपत्र (यथा प्रयोज्य) और यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज (संदर्भ पैरा 15.1 ऊपर) की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करेगा।

लिफाफा - 1: बोली प्रतिभूति

लिफाफा - 2: सत्यनिष्ठा संधि

लिफाफा - 3 पावर ऑफ अटार्नी, संयुक्त उद्यम करार (यथा प्रयोज्य) और संयुक्त उद्यम करार की पावर ऑफ अटार्नी (यथा प्रयोज्य) और संयुक्त वचनबद्धता बंधपत्र (यथा प्रयोज्य) यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज (संदर्भ पैरा 15.1 ऊपर)

बोलीदाता अपेक्षित कोष्ठिकाओं में भली-भांति भरी गई बोली के भाग के रूप में पोर्टल से डाउनलोडेड कीमत अनुसूची और संलग्नकों की एक्सेल फाइलें अपलोड करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली, बोली दस्तावेज के भाग के

रूप में, पोर्टल से डाउनलोडेड फाइलों से पृथक पाई जाती है या हेर-फेर/आशोधित अवरोध अंश पाए जाते हैं तो बोलीदाता को बोली के अस्वीकृत होने का जोखिम उठाना होगा।

16.2 लिफाफे

(क) **बीडीएस** में दिए गए पते पर क्रेता को संबोधित होंगे, और

(ख) उनपर **बीडीएस** में इंगित संविदा का नाम, **बीडीएस** में इंगित बोलियों के लिए आमंत्रण शीर्षक और संख्या तथा आईटीबी उप-खंड 20.1 के अनुसरण में **बीडीएस** में विनिर्दिष्ट समय और तारीखके साथ पूरा किए जाने के लिए कथन ''[तारीख] से पहले न खोलें'' इंगित होगा।

16.3 बोलीदाता पहले लिफाफे के साथ किसी अन्य दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेगा जिसे वह संगत समझता है।
सभी अंदर रखे गए लिफाफों पर भी बोलीदाता का नाम और पता इंगित किया जाएगा ताकि ''विलंब से'' घोषित किए जाने की स्थिति में उन्हें बिना खोले वापस किया जा सके।

16.4 यदि लिफाफे सीलबंद और चिन्हित नहींकिए गए हैं, जैसा कि ऊपर आईटीबी उप-खंड 16.2 द्वारा अपेक्षित है, तो बोली के गलत जगह रखे जाने या समय से पूर्व खोले जाने के लिए क्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

17. बोलियों को प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम तिथि

17.1 बोली की सॉफ्ट कॉपीबोली दस्तावेज में निर्धारित किए गए समय और तारीख के अनुसार प्रस्तुति या उससे पहले पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in* के जरिए अपलोड की जाएंगी। पृथक लिफाफे में आईटीबी के खंड 13, भाग-II के अनुसरण में, बोली प्रतिभूति की हार्ड कॉपी सत्यनिष्ठा संधि, पावर ऑफ अटार्नी, संयुक्त उद्यम करार और संयुक्त उद्यम करार की पावर ऑफ अटार्नी (संयुक्त उद्यम से बोली के मामले में) को क्रेता द्वारा बीडीएस में बताए गए समय और तारीख तक आईटीबी उप-खंड 16.2 के तहत विनिर्दिष्ट पते पर प्राप्त किए जाएंगे। विनिर्दिष्ट तारीख के क्रेता के लिए एक अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, बोलियां अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय तक प्राप्त/अपलोड की जाएंगी।

17.2 क्रेता अपने विवेकाधिकार पर आईटीबी उप-खंड 20 के अनुसरण में क्रेता द्वारा बोलियोंको खोलेजानेसे पूर्व किसी भी समय उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से आईटीबी उप-खंड 7.3 के अनुसरण में बोली दस्तावेजों में संशोधन के द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की इस अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है, ऐसे मामले में क्रेता और बोलीदाताओं के सारे अधिकार और बाध्यताएं, उसके बाद, विस्तारित समय सीमा के अध्यधीन होंगे।

18. देर से प्राप्त बोलियां

18.1 बोलियां प्रस्तुत किए जाने के समय-सीमा के समाप्त होने के पश्चात बोली का सॉफ्ट भाग पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा और बोलीदाता को किसी अन्य तरीके के द्वारा इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामले में, चाहे बोलीदाता ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मूल में (अर्थात बोली प्रतिभूति, सत्यनिष्ठा संधि आदि) हार्ड कॉपी में विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किए है, उसकी बोली को देर से प्राप्त बोली ही माना जाएगा। हार्ड कॉपी में प्रस्तुत की गई बोली [विशिष्ट दस्तावेज (अर्थात बोली प्रतिभूति, सत्यनिष्ठ संधि आदि)] को बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

आईटीबी खंड 17 के अनुसरण में क्रेता द्वारा निर्धारित बोली की प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि के पश्चात क्रेता द्वारा प्राप्त बोली प्रतिभूति (ऊपर बोली के पैरा 15.1 (ii) (क) पर संदर्भित) की हार्ड कॉपी के बारे में देर से प्राप्त बोली के रूप में विचार किया जाएगा चाहे बोलीदाता ने निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर बोली के साफ्ट भाग को अपलोड किया गया हो। ऐसे मामले में, पोर्टल पर अपलोडेड बोली के साफ्ट भाग को बिना खोले 'आरकाइव' को भेज दिया जाएगा और उसपर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।

19. बोलियों में आशोधन और उनकी वापसी

19.1 बोलीदाता पोर्टल *https://pgcileps.buyjunction.in*. पर संगत प्रावधानों के जरिए अपनी बोलियों में आशोधन कर सकता है। बोलीदाता प्रस्तुत करने के बाद अपनी बोली में आशोधन कर सकता है या उसे वापस ले सकता है, बशर्ते कि ऐसा आशोधन पोर्टल पर किया गया है साथ ही बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व क्रेता द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है।

19.2 बोलीदाता का आशोधन निम्नानुसार किया गया और प्रस्तुत किया जाएगा:-

(i) यहां पोर्टल के प्रावधानों के अनुसार बोली का आशोधित इलैक्ट्रॉनिक फार्म।

(ii) संपूर्ण बोली की सॉफ्ट कॉपी यदि उसमें कोई आशोधन किया गया है।

19.3 बोलीदाता केवल पोर्टल के संगत प्रावधानों के जरिए ही बोली को वापस ले सकता है।

19.4 आईटीबी खंड 14 में विनिर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के समाप्त होने और बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख के बीच कोई बोली वापस नहीं ली जा सकती। आईटीबी उप-खंड 13.6 के अनुसरण में बोलीदाता द्वारा इस अंतराल के दौरान किसी बोली को वापस लेने का परिणाम उसकी प्रतिभूति को जब्त किए जाने में हो सकता है।

ड. बोली खोलना और मूल्यांकन

20. क्रेता द्वारा <u>प्रथम लिफाफे</u> को खोला जाना

20.1 क्रेता, **बीडीएस** में निर्धारित समय, तारीख और स्थान पर बोलीदाता के पदनामित प्रतिनिधियों, जो भाग लेने के लिए चुने गए हैं, की उपस्थिति में

आईटीबी खंड 19 के अनुसरण में वापसी और आशोधनों सहित सार्वजनिक रूप में <u>प्रथम लिफाफा</u> अर्थात तकनीकी वाणिज्यिक भाग को खोलेगा। बोलीदाता के प्रतिनिधि, जो उपस्थित हैं, अपनी उपस्थिति का साक्ष्य देने के लिए एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। जिन बोलीदाताओं ने अपनी बोली प्रस्तुत की है, वे अपनी ओर से पोर्टल पर निविदा को खोला जाना ऑन लाइन देख सकते हैं। क्रेता के लिए बोलियों को प्रस्तुत करनेके लिए विनिर्दिष्ट तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, बोलियां अगले कार्य दिवस पर नियत समय तक स्वीकार की जाएगी।

20.2 बोलियों को खोलने के दौरान, ''वापसी'' चिन्हित लिफाफों को पहले खोला जाएगा। आईटीबी खंड 19 के अनुसरण में वापस ली गई बोलियों को नहीं खोला जाएगा।

20.3 सभी अन्य बोलियों के लिए, बोली क्रेता द्वारा पोर्टल के जरिए बोलीदाता का नाम, वापसी की लागत सहित, यदि कोई हो, विचलन, बोली प्रतिभूति की उपस्थिति, सत्यनिष्ठा संधि और ऐसे कोई अन्य विवरण जिन्हें क्रेता उचित समझाता है, घोषित किए जाएंगे। तत्पश्चात, ''आशोधन'' चिन्हित सारे लिफाफे खोले जाएंगे। आईटीबी खंड 18 के अनुसरण में, देर से प्राप्त बोलियों के अतिरिक्त, बोली खोले जानेके समय किसी बोली को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। बोलियों की सॉफ्ट कॉपी को बिना खोले 'आरकाइव' को भेज दिया जाएगा। तथापि, बोली को खोला जाना, चाहे बोली प्रतिभूति और/या सत्यनिष्ठा संधि उनके साथ संलग्न हो या नहीं, इसकी स्वकार्यता को सूचित करने में अनुमान नहीं लगाया जाएगा, उसकी इस भाग –II में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत जांच की जाएगी।
क्रेता की ओर से, बोली खोले जाने के समय प्रतिनिधि द्वारा सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किया जाएगा। सत्यनिष्ठा संधि का एक मूल क्रेता द्वारा अपने अधिकार में रखा जाएगा और अन्य मूल को बोली खोलनेकेदौरान उपस्थित बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा। बोली खोले जाने के दौरान यदि बोलीदाता का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है तो अन्य मूल को डाक/कूरियर द्वारा बोलीदाता को भेज दिया जाएगा।

20.4 क्रेता बोली खोले जाने के विवरण के रूप में बोली खोले जाने के कार्यवृत्त तैयार करेगा जिसमें आईटीबी उप–खंड 20.3 के अनुसरण में वहां उपस्थित व्यक्तियों को सूचना प्रकट किया जाना शामिल है।

20.5 परिस्थितियों के बावजूद बोली खोले जाने के समय खोली न गई बोलियों पर मूल्यांकन के लिए और विचार नहीं किया जाएगा, और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा/बिना खोले आरकाइव को भेज दिया जाएगा।

21. बोलियों का स्पष्टीकरण

21.1 बोली मूल्यांकन के दौरान, क्रेता अपने विवेकाधिकारपर बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। आईटीबी उप–खंड 9.3(ख)

(ढ) और (थ) या आईटीबी उप-खंड 9.3 और (ड.) के अनुसरण में संयुक्त वचनबद्धता बंधपत्र से संबंधित/पहचाने गए बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अशुद्ध/प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार क्रेता ऐसे दस्तावेजों के परिशोधन/प्रस्तुत किए जाने के लिए बोलीदाता को अधिकतम 7 कार्य दिवसों का नोटिस दे सकताहै जिसके न होने पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण और उत्तर के लिए अनुरोध लिखित में दिया जाएगा और बोली की कीमत या विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन मांगा, प्रस्ताव नहीं किया जाएगा या उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. <u>प्रथम लिफाफे</u> की प्रारंभिक जांच

22.1 क्रेता यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं; कया अपेक्षित गारंटियां प्रस्तुत की गई हैं, कया दस्तावेजों पर उचित रुप से हस्ताक्षर किया गया है और कया बोलियां सामान्य रुप में क्रम में हैं।

22.2 क्रेता किसी बोली में ऐसी किसी लघु अनौपचारिकता, अननुरूपता या अनियमितता को हटा सकता है जो किसी उल्लेखनीय परिवर्तन को स्थापित नहीं करती, चाहे वे बोलीदाता द्वारा उसकी बोलीके संलग्न 6 में चिन्हित की गई हों या नहीं और वह आईटीबी खंड 24 के अनुसरण में किसी तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकनके परिणामस्वरूप किसी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग के प्रतिकूल न हो या उसे प्रभावित न करती हो।

22.3 विस्तृत मूल्यांकन के पूर्व, क्रेता यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रत्येक बोली स्वीकार्य गुणवत्ता की है, पूरी है और बोली दस्तावेजों के प्रति महत्वपूर्ण रुप से उत्तरदायी है। संलग्नक 6 और/या बोली प्रपत्र, तकनीकी आंकड़ा शीट्स और आवरण पत्र या बोली के किसी भाग में प्रस्तावित किसी परिवर्तन,शर्त या आरक्षण की बोलीदाता की बोली की उल्लेखनीय प्रतिक्रियाशीलता के निर्धारण को आयोजित करने के लिए पुनरीक्षा की जाएगी। इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक उल्लखेनीय रूप से प्रतिक्रियाशील बोली वह है जो उल्लेखनीय विचलनों, आपत्तियों, सोपाधिकता या प्रतिबंधों के बिना बोली दस्तावेजों के सारे निबंधनों स्थितियों और विनिर्देशनों के अनुरूप हो। एक महत्वपूर्ण विचलन, आपत्ति, सोपाधिकता या प्रतिबंध वह है (i) जो संविदा के क्षेत्र, गुणवत्ता या निष्पादन को उल्लेखनीय रुप से प्रभावित करे; (ii) जो संविदा के तहत, किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से बोली दस्तजावेजों के असंगत क्रेता के अधिकारों या सफल बोलीदाता के दायित्वों को सीमित करता है, या (iii) जिसका परिशोधन अनुचित तरीके से अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करता है जो महत्वपूर्ण रूप से प्रतिक्रियाशील बोलियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

22.3.1 जीसीसी खंड 2.14 (अभिशासी कानून), 8 (भुगतान की शर्तें), 9.3 (निष्पादन प्रतिभूति), 10 (कर और शुल्क), 21.2 (पूर्ण समय गारंटी), 22(त्रुटि दायित्व), 24 (पेटेंट क्षतिपूर्ति), 25 (दायित्व की सीमा), 35 (विवादों का निपटान), 36 (मध्यस्थता) और संविदा करार के प्रपत्र के परिशिष्ट-2 (कीमत समायोजन) से संबंधित आलोच्य प्रावधानों से विचलनों को

अंतर्निहित करने वाली बोलियों पर गैर-प्रतिक्रियाशील के रुप में विचार किया जाएगा।

22.3.2 बोली में प्रस्तुत विचलनों, शर्तों या प्रतिबंधों के संबंध में,जिसकी बोलीदाता की बोली की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाशिलता को निर्धारण करने के लिए पुनरीक्षा की जाएगी, जैसा कि आईटीबी उप खंड 22.3 में कहा गया है, बोली की विषय-वस्तु में, अंतर्विरोध, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए दस्तावेजों का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा:

I. बोली प्रपत्र.
II. संलग्नक-6 : विचलन
III. तकनीकी आंकड़ा शीट
IV. बोली का अन्य कोई भाग

क्रम संख्या- I पर दस्तावेजों की विषय-वस्तु को अन्य दस्तावेजों में अभिशासी वरीयता प्राप्त होगी (ऊपर क्रम सं. II से IV)। इसी प्रकार, ऊपर क्रम संख्या II पर दस्तावेज की विषय-वस्तु को अन्य दस्तावेजों में अभिभावी वरीयता प्राप्त होगी (ऊपर क्रम सं. III से IV) और इसकी प्रकार यह क्रम आगे भी चलेगा।

22.4 यदि कोई बोली महत्वपूर्ण रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं है तो क्रेता द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और तदनुसार, गैर-अनुरूपता में संशोधन द्वारा बोलीदाता द्वारा इसे प्रतिक्रियाशील नहीं बनाया जाएगा। क्रेता द्वारा बोली की प्रतिक्रियाशीलता का निर्धारण बाहरी साक्ष्य का आश्रय लिए बिना स्वयं बोली की विषय-वस्तु के आधार पर किया जाएगा।

23. अर्हता

23.1 क्रेता इस बारे में अपनी संतुष्टि को सुनिश्चित करेगा कि क्या संविदा को संतोषजनक रुप से निष्पादित करने के लिए अनुबंध – क (बीडीएस) में विनिर्दिष्ट योग्यता अनिवार्यता के अनुसार, निर्धारित किए गए बोलीदाताओं, जिन्होंने महत्वपूर्ण रुप से प्रतिक्रियाशील बोलियों प्रस्तुत की हैं, अर्हता प्राप्त हैं। क्रेता इस संबंध में एकमात्र निर्णायक होगा और योग्यता अनिवार्यता के बारे में क्रेता की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होंगी।

23.2 निर्धारण में बोलीदाताओं की उत्पादन क्षमताओं सहित वित्तीय, तकनीकी क्षमताओं, विशेषरूप से बोलीदाता के जारी संविदा कार्य, भविष्य की वचनबद्धताओं और जारी मुकदमें और पिछले निष्पादन को ध्यान में रखा जाएगा।यह बोली के संलग्न -3 में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए बोलीदाता की योग्यताओं के दस्तावेजी साक्ष्य की जांच, साथ ही, ऐसी अन्य सूचना जैसा क्रेता आवश्यक और उचित समझता है, द्वारा किया जाएगा। तथापि, यह अनुबंध-क (बीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार क्रेता द्वारा, यदि अनिवार्य हो, किए जाने वाले आकलन के अध्यधीन होगा। इस संबंध में क्रेता एकमात्र निर्णायक होगा।

23.3 क्रेता किसी बोली में किसी लघु अनौपचारिकता, गैर-अनुरूपता अथवा अनियमितताको दूर कर सकता है जो महत्वपूर्ण अंतर स्थापित नहीं करता, और बोलीदाता की संविदा को निष्पादित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

23.4 तकनीकी-वाणिज्यिक भाग का मूल्यांकन करने और बोलीदाता के द्वितीय लिफाफे को खोलने के लिए क्रेता के लिए एक सकारात्मक निर्धारण के लिए एक शर्त होगा। नकारात्मक निर्धारण का परिणाम बोलीदाता की बोली की अस्वीकृति में होगा।

24. तकनीकी-वाणिज्यिक भाग का मूल्यांकन (प्रथम लिफाफा)

24.1 क्रेता, यह निर्धारित करने के लि अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की बोलियों का विस्तृत मूल्यांकन करेगा कि क्या तकनीकी पहलू बोली दस्तावेजों में निर्धारित अनिवार्यताओं के अनुसरण में हैं। ऐसे निर्धारण का पठन करने के लिए, क्रेता निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए आईटीबी खंड के अनुसरण में, बोलीदाताओं द्वारा आपूर्ति की गई सूचना तथा बोली दस्तावेजों में अन्य अनिवर्याताओं की जांच करेगा।

(क) तकनीकी विनिर्देशनों और आरेखनों के साथ समग्र संपूर्णता और अनुपालन बोली के संलग्न 6 में यथा चिन्हित तकनीकी विनिर्देशनों से विचलन और इस प्रकार पहचाने न गए विचलनों, स्थल पर अभिभावी पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी स्थितियों के संबंध में प्रस्तावित सुविधाओं संबंधी उपयुक्तता और बोली में शामिल काई प्रक्रिया नियंत्रण संकल्पना की गुणवत्ता, कार्य और प्रचालन। कोई बोली, जो संपूर्णता, संगतता और विवरण के न्यूनतम स्वीकार्य मानकों को पूरा नहीं करती, उसे गैर-प्रतिक्रियाशील होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) माल और संबंधित सेवाओं द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन मानदंड की प्राप्ति।

(ग) संविदा करार के प्रपत्र के तदनुरुपी परिशिष्ट में मांगी गई समय अनुसूची के अनुपालन और बोली में उपलब्ध कराए गए एक चरणबद्ध अनुसूची में यथा अनिवार्यत: प्रमाणित;

समय अनुसूची (निष्पादन कार्यक्रम)

इस बोली द्वारा अंतर्निहित माल और संबंधित सेवाओं की डिलेवरी, **बीडीएस** में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात क्रेता द्वारा 'अधिग्रहित' की जाएगी। बोलीदाताओं द्वारा अपनी कीमतों को संविदा करार (समय अनुसूची) के प्रपत्र के परिशिष्ट – 4 में दी गई समय अनुसूची पर अथवा जहां परिशिष्ट -4 में कोई समय अनुसूची नहीं दी गई है, वहां ऊपर दी गई पूर्णता की तारीख (तारीखों) पर आधारित किए जाने की जरुरत है। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद कार्य पूर्णता का प्रस्ताव करने वाली बोलियां अस्वीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(घ) कोई अन्य संगत तकनीकी कारक जो क्रेता अनिवार्य या विचार किए जाने के लिए विवेकपूर्ण समझता है।

(ड.) बोली दस्तावेजों में निर्धारित वाणिज्यिक और संविदात्मक प्रावधानों के लिए कोई परिवर्तन।

(च) बोली दस्तावेजों के खंड-II में विनिर्दिष्ट अनिवार्यताओंकी प्रतिक्रिया में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण।

(छ) बोलीदाता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली संलग्न - 5 में प्रस्तावित विक्रेताओं और उप-संविदाकारों की स्वीकार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि विक्रेता या उप-संविदाकार को अनुबंध - क (बीडीएस) के तहत सम्मिलित मदों के अतिरिक्त अन्य मदों के लिए अस्वीकृत होने के लिए दृढ़-निश्चयी है तो बोली को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, किंतु बोलीदाता द्वारा बोली कीमत में परिवर्तन किए बिना एक स्वीकार्य विक्रेता या उप ठेकेदार को प्रतिस्थापित करना होगा।

24.2 जहां वैकल्पिक तकनीकी समाधानों को अनुमति दी गई है और बोली के संलग्नक -7 में प्रस्तावित किया गया है वहां क्रेता विकल्पों का समान मूल्यांकन करेगा जिसे तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकनों में इस प्रकार प्रतिपादित किया जाएगा जैसे कि वे आधारभूत बोलियां थीं। जहां, विकल्पोंको अनुमति नहीं दी गई है किंतु किसी भी स्थिति में उन्हें पेश किया गया है तो वहां उनकी उपेक्षा की जाएगी।

25. क्रेता द्वारा द्वितीय लिफाफे को खोला

25.1 केवल उन्हीं बोलीदाताओं द्वारा द्वितीय लिफाफा अर्थात कीमत भाग खोला जाएगा, जो इस बारे में दृढ़ निश्चयी हैं कि वे उल्लेखनीय रुप से प्रतिक्रियाशील बोलियां प्रस्तुत कर रहे हैं और आईटीबी खंड 23 और 24 के अनुसरण में संविदाको निष्पादित करने के लिए पात्र होने के लिए अभिनिश्चति है। ऐसे बोलीदाताओं को क्रेता द्वारा बोलियों के द्वितीय लिफाफे को बोली की प्रतिभूति के साथ बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

25.2 क्रेता दूसरे लिफाफे को खोलने के लिए सूचना में निर्धारित समय, तारीख और स्थान पर बोलीदाताओं के पद नामित प्रतिनिधियों, जिन्हें भाग लेने के लिए चुना गया है, की उपस्थिति में विनिर्दिष्ट समय और तारीख पर दूसरे लिफाफे अर्थात कीमत भाग को खोलेगा। बोलीदाताओं के प्रतिनिधि जो उस समय उपस्थित हैं, अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। बोलीदाता, जिन्होंने अपनी बोली प्रस्तुत की है और ऊपर पैरा 25.1 में उल्लेख किए गए अनुसार पात्र पास गए हैं अपनी ओर से निविदा खोलने की प्रक्रिया को पार्टल पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

25.3 बोलीदाताओं का नाम, बोली कीमतें, किसी वैकल्पिक कीमतया किसी छूट सहित और किसी बोलीदाता द्वारा पोर्टल पर भरे गए इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्र के अनुसार ऐसे

अन्य विवरण बोलियों को खोलनेके समय अवलोकन किए जा सकेंगे। बोलीदाता द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रपत्र/टैम्पलेट में भरे गए अनुसार और बोली खोले जाने के दौरान खोली गई और बोली खोले जाने संबंधी विवरण में दर्ज किए गए कीमतें और विवरणों का बोलीदाताओं या सफल बोलीदाताओं के बीच सापेक्ष रैंकिंग निर्धारित करने के लिए गलत अर्थ नहीं लगाया जाएगा और किसी बोलीदाता को किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता (एल-1 बोलीदाता के रूप में भी संदर्भित) इस भाग- II के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और आईटीबी खंड 30 में उपलब्ध कराए गए अनुसार संविदा प्रदान करने के लिए उसके संबंध में विचार किया जाएगा।

25.4 क्रेता आईटीबी उप खंड 25.3 के अनुसरण में, वहां उपस्थित व्यक्तियोंको प्रकट की गई सूचना सहित, बोली खोले जाने की घटना का कार्यवृत्त तैयार करेगा।

25.5 बोली खोलने के समय खोली न गई और पढ़ीन गई बोलियों पर स्थितियों के होते हुए भी, मुल्यांकनके लिए और आगे विचार नहीं किया जाएगा।

26. एकल मुद्रा में रुपांतरण

26.1 यह लागू नहीं होगा क्योंकि घरेलू फर्मों द्वारा अपनी कीमतें केवल भारतीय रूपयों में उद्धरित किया जाना अपेक्षित है।

27. द्वितीय लिफाफे का मूल्यांकन (कीमत भाग)

27.1 क्रेता यह निर्धारित करने के लिए कीमत भाग (द्वितीय लिफाफा) की जांच करेगा कि क्या वे पूरे हैं; क्या कोई संगणना संबंधी त्रुटियां की गई हैं, क्या दस्तावेजों पर सही तरीके से हस्ताक्षर किया गया है और कया बोलियां सामान्य रूप से क्रम में हैं।
संविदात्मक और वाणिज्यिक स्थितियों और तकनीकी विनिर्देशनों में अंतर्निहित से किसी विचलन या त्रुटि को वहन करने वाला कीमत भाग, जिन्हें प्रथम लिफाफे में पहचाना नहीं गया है, अस्वीकार किए जाने के अधीन होंगे।

27.2 गणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर परिशोधित किया जाएगा। यदि यूनिट कीमत और कुल कीमत के बीच विसंगति है जिसे क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट यूनिट कीमत और मात्रा को गुणा कर प्राप्त किया गया है और मात्रा क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है अथवा उप जोड़ और कुल कीमत के बीच यूनिट या उपजोड़ की कीमत अभिभावी होंगे और मात्रा तथा कुल कीमत को संशोधित किया जाएगा। तथापि, किसी मात्रा को इंगित किए बिना उद्धरित की गई मदों या ऐसी मदों, जिनके लिए मात्राओं को बोलीदाता द्वारा अनुमानित किया जाना है, के लिए ऐसी मदों के प्रति उद्धरित कुल कीमत अभिभावी होंगे। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच विसंगति है तो शब्दों में दी गई राशि अभिभावी होगी।

कीमत अनुसूचियों में सारी ऐसी मद (मदों) की कीमतें, जिनके सामने बोलीदाता ने दरें/धन राशि उद्धरित नहीं की हैं (उदा. खाली छोड़ी गई मदें या जिसकेसामने '-' इंगित किया गया है) अन्य मद(दों) में शामिल की गई मानी जाएगी।

यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कोई छूट(टें)/रियायत(तें) प्रतिशत छूट है और कीमत संघटक(कें) जिस पर बोली में उक्त छूट इंगित नहीं की गई है तो प्रदान किए जाने की स्थिति में इसपर कुल बोली कीमत के संबंध में विचार किया जाएगा [अर्थात समानुपातिक रुप से प्रत्येक कीमत संघटक पर]। तथापि, यदि एकमुश्त छूट प्रस्तावित की जाती है तो संविदा प्रदान किए जाने की स्थिति में पूर्ण-कार्य कीमत संघटक (वैयक्तिक मदों की पूर्ण-कार्य कीमत को समानुपातिक रुप से घटा कर) पर पूर्ण मात्रा के रुप में विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित सशर्त छूट/रियायतों को मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, संविदा प्रदान किए जाने की स्थिति में इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोलीदाता द्वारा बोली में इंगित करों, शुल्कों और अन्य लेवियों के संबंध में, जो बोली दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति योग्य हैं, उनकी प्रयोज्य दर और धनराशि क्रेता द्वारा अभिनिश्चति की जाएगी, जिसके आधार पर, यदि आवश्यक हो तो, क्रेता द्वारा अनिवार्य परिशोधन और गणितीय संशोधन किए जाएंगे। क्रेता द्वारा इस प्रकार अभिनिश्चित की गई दर और राशि अभिभावी होंगे।

शब्दों या आंकड़ों में इंगित इसके लिए निर्धारित राशि के बीच असंगता के होते हुए भी, इस प्रयोजन के लिए बोली प्रपत्र में चिन्हित किए जाने के लिए उप जोड़, कुल कीमत या कुल बोली कीमत को ऊपर वर्णित की गई कार्यविधि के अनुसार परिशोधित किया जाएगा।

यदि बोलीदाता इस खंड के अनुसार त्रुटियों के संशोधन को स्वीकार नहीं करता तो इसकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बोली प्रतिभूति की राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

बोलीदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कीमत अनुसूचियों में प्रस्तुत की गई कीमतें एक दूसरे के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन के लिए बोली प्रपत्र में चिन्हित किए जाने वाली कीमत अनुसूची में प्रस्तुत की गई कीमतों में असंगतता के मामले में इन अनुसूचियों में क्रेता मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ उच्चतम कीमत का और संविदा को प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ निम्नतम कीमतों का प्रयोग करेगा।

27.3 तुलना कीमत अनुसूची संख्या 5 कुल सारांश (अनुसूची संख्या 1 से 4 का जोड़) में कुल कीमत पर और प्रयोज्य छूट पर विचार करते हुए तुलना की जाएगी।

तुलना में भी प्रयोज्य कर, शुल्क और अन्य लेवी भी शामिल होंगे, जो बोली दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति योग्य है।

क्रेता की तुलना में आईटीबी उप-खंड 27.4 और 27.5 में वर्णित मूल्यांकन कार्य विधियों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त लागते भी शामिल होंगी।

27.4 क्रेता द्वारा किसी बोली के मूल्यांकन में कीमत अनुसूची संख्या 1 से 4 (<u>द्वितीय लिफाफा</u>) में इंगित बोली कीमतों के अतिरिक्त, निम्नलिखित लागतों और कारकों को ध्यान में रखा जाएगा जो आईटीबी उप खंड 27.5 में और तकनीकी

विनिर्देशनों में इंगित तरीके में और सीमा तक, क्रेता को उपलब्ध मूल्य निर्धारण सूचना का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन में प्रत्येक बोलीदाता की बोली कीमत में जोड़ा जाएगा:

(क) संविदात्मक और वाणिज्यिक स्थितियों से उत्पन्न सभी प्रमात्रात्मक अंतरों और त्रुटियों की लागत और प्रथम लिफाफे के मूल्यांकन में पहचाने गए तकनीकी विनिर्देशनों और प्रकार पहचाने न गए अन्य अंतर और त्रुटियां;

(ख) प्रस्तावित माल का निष्पादन;

बोलीदाता तकनीकी विनिर्देशनों के प्रत्युत्तर में **बीडीएस** में नामित माल की गारंटीशुदा निष्पादन या कार्य कुशलता के बारे में बताएगा। प्रस्तावित माल को प्रतिक्रियाशील समझे जाने के लिए तकनीकी विनिर्देशन में विनिर्दिष्ट गारंटियों का न्यूनतम (या अधिकतम, जैसा भी मामला हो) स्तर शामिल होगा। विनिर्दिष्ट न्यूनतम (या अधिकतम) से कम (या अधिक) गारंटियों वाले माल का प्रस्ताव रखने वाली बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ग) **बीडीएस** में सूचीबद्ध कोई अन्य संगत कारक ।

बोली मूल्यांकन में संविदा के निष्पादन की अवधि में लागू, संविदा की स्थितियों के कीमत समायोजन प्रावधानों के अनुमानित प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

27.5 आईटीबी उप-खंड 27.4 के अनुसरण में, निम्नलिखित मूल्यांकन पद्धतियों का अनुसरण किया जाएगा:

(क) संविदात्मक और वाणिज्यिक अंतर

मूल्यांकन इस बोली दस्तावेजों के तहत सभी वाणिज्यिक, संविदात्मक और तकनीकी बाध्यताओं के अनुसरण में संविदा को पूरा करने की मूल्यांकित लागत पर आधारित होगा। मूल्यांकित लागत पर पहुंचने में, प्रथम लिफाफे के मूल्यांकन में पहचाने गए अंतरों के प्रति प्रथम लिफाफे के संलग्न -6 में बोलीदाता द्वारा इंगित वापसी की लागत का प्रयोग किया जाएगा।यदि ऐसी कोई कीमत नहीं दी गई है तो क्रेता बोलियों की उचित तुलना को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे विचलन की लागत का स्वयं आकलन करेगा।

(ख) माल की निष्पादन गारंटियां

मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, **बीडीएस** में विनिर्दिष्ट समायोजन को बोली कीमत में जोड़ा जाएगा।

27.6 ''मूल्यांकित बोली कीमत'' पर पहुंचने के लिए केवल तुलनात्मक मूल्यांकन के के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त कार्य विधियां के परिणामस्वरूप प्राप्त कीमत में किसी

प्रकार के समायोजनों को जोड़ा जाएगा। बोलीदाताओं द्वारा उद्धरित बोली कीमतें और आईटीबी उप खंड 27.2 के अनुसार परिशोधित बोली कीमतें स्थिर बनी रहेंगी।

28. क्रय/घरेलू प्रथमिकता

28.1 बोलियों के मूल्यांकन और तुलना में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रचलित भारत सरकार की नीति के तहत यथा अनुमेय क्रय प्राथमिकता को अनुमति दी जाएगी।

29. गोपनीयता और क्रेता से संपर्क करना

29.1 बोलियों को सार्वजनिक रूप से खोले जाने के पश्चात, बोलियों की जांच, स्पष्टीकरण और मूल्यांकन से संबंधित सूचना और प्रदान किए जाने से संबंधित सिफारिशें बोलीदाताओं या इस प्रक्रिया से सरकारी रूप से असंबंधित अन्य व्यक्तियों को संविदा प्रदान किए जाने की सूचना प्रकाशन होने तक प्रकट नहीं की जाएंगी। बोली खोले जाने के समय से लेकर संविदा प्रदान किए जाने तक, यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी मामले पर क्रेता से संपर्क रखने की इच्छा रखता है तो उसे ऐसा लिखित में करना चाहिए।

29.2 किसी बोलीदाता द्वारा क्रेता के बोली मूल्यांकन बोली तुलना या संविदा प्रदान किए जाने संबंधी निर्णयों में क्रेता को प्रभावित किए जाने के किसी प्रयास का परिणाम बोलीदाताकी बोली को अस्वीकृति किए जाने में हो सकता है। इस संबंध में क्रेता एकमात्र निर्णायक होगा।

च. संविदा प्रदान करना

30. प्रदान किए जाने संबंधी मानदंड

30.1 आईटीबी खंड 31 के अध्यधीन, क्रेता ऐसे सफल बोलीदाता (एल-1 बोलीदाता के रुप में भी संदर्भित) को संविदा प्रदान करेगा जिसकी बोली उल्लेखनीय रूप से प्रतिक्रियाशील और निम्नतम मूल्यांकित बोली निर्धारित की गई है, आगे बशर्ते कि बोलीदाता संतोषजनक रूप से संविदा को निष्पादित करने के लिए अनुबंध-क (बीडीएस) में विनिर्दिष्ट अर्हता अनिवार्यता के अनुसार पात्र होने के लिए दृढ़ निश्चय है।

30.2 क्रेता जीतने वाली बोली में सूचीबद्ध किसी अंतर को वापस लेने के लिए बोलीदाता से अनुरोध कर सकता है।

संविदा प्रदान किए जाने के समय, यदि क्रेता द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की जाती है, तो बोलीदाता बोली में उसके द्वारा बताई गई वापसी की कीमत पर <u>प्रथम लिफाफे</u> के संलग्न - 6 में सूचीबद्ध अंतरों को वापस लेगा। यदि बोलीदाता बोली में उसके द्वारा बताई गई वापस की लागत पर उसके द्वारा प्रस्तावित

अंतरों, यदि कोई हो, को वापस नहीं लेता है तो उसकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उसकी बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

बोलीदाता द्वारा उन अंतरों के अतिरिक्त बोली दस्तावेजों की अन्य सभी अनिवार्यताओं का अनुपालन करना जरूरी है, जो क्रेता द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

30.3 सफल बोलीदाता के साथ संविदा का तरीका जीसीसी उप खंड 2.1 में आरेखित शर्तों और नीचे संक्षिप्त रूप में इंगित किए गए अनुसार होगा:

30.3.1 सारे माल और संबंधित सेवाओं को शामिल करने वाली किसी अनुबंध को संविदा प्रदानकी जाएगी।

31. किसी एक बोली को स्वीकार करने अथवा किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का क्रेता का अधिकार

31.1 क्रेता प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति किसी जिम्मेदारी को वहन किए बिना या क्रेता की कार्रवाई के कारणों के बारे में प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं को सूचित करने की बाध्यता के बिना संविदा को प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को निष्प्रभावी करने या सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. प्रदान किए जाने संबंधी अधिसूचना

32.1 बोली वैधता की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, क्रेता लिखित में सफल बोलीदाता को सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। प्रदान किए जाने संबंधी अधिसूचना संविदा के गठन को स्थापित करेगी।

32.2 क्रेता बोली और विनिर्देशन संख्याओं तथा निम्नलिखित सूचना की पहचान करतेहुए, अपनी वेबसाइट पर परिणामों को प्रकाशित करेगा: (i) प्रत्येक बोलीदाता का नाम, जिसने बोली प्रस्तुत की है; (ii) बोली खोले जाने के समय ई-प्रपत्र के अनुसार बोली कीमतों का प्रदर्शन; (iii) प्रत्येक बोली का नाम और मूल्यांकन कीमतें, जिसे मूल्यांकित किया गया था; (iv) उन बोलीदाताओं के नाम, जिनकी बोलियां अस्वीकृत की गई थीं और उन्हें अस्वीकृत किए जाने का कारण; और (v) विजेता बोलीदाता का नाम और उसके द्वारा प्रस्तावित कीमत तथा प्रदत्त संविदा की अवधि और सारांश क्षेत्र।

क्रेता किसी असफल बोलीदाता को तत्काल लिखित में जवाब देगा, जो उपर्युक्त के अनुसरण में प्रदत्त अधिसूचना के बाद लिखित में अपनी बोली को न चुन जाने का कारण बताने का अनुरोध करेगा।

32.3 आईटीबी खंड 34 के अनुसरण में सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने पर क्रेता तत्काल आईटीबी उप खंड 13.4 और 13.5 के अनुसरण में, बोली प्रतिभूतियों का निपटना करेगा।

33. संविदा करार पर हस्ताक्षर करना

33.1 उसी समय, जब क्रेता सफल बोलीदाता को सूचित करता है कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है, क्रेता पक्षकारों के बीच सभी करारों को शामिल करते हुए, बोली दस्तावेज मं उपलब्ध कराए गए संविदा करार को तैयार करेगा।

33.2 प्रदत्त अधिसूचना के प्रकाशन के अठाइस (28) दिन के भीतर संविदा करार को तैयार किया जाएगा और उसके तत्काल बाद सफल बोलीदाता और क्रेता संविदा करारपर हस्ताक्षर करेंगे और तारीख डालेंगे।

34. निष्पादन प्रतिभूति

34.1 प्रदान किए जाने संबंधी अधिसूचना की प्राप्ति के अठाइस (28) दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता बीडीएस में बताई गई राशि में अर्हता अनिवार्यताओं की आवश्यकता के अनुसरण में तथा बोली दस्तावेजों के भाग VI नमूना प्रपत्रों और कार्यविधियों में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में पात्रता संविदा कीमतों के 10% (दस प्रतिशत) सहित अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति, यदि कोई हो, की निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा। संयुक्त उद्यमकी निष्पादन प्रतिभूति संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

34.2 आईटीबी खंड 33 और खंड 34 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सफल बोलीदाता की असफलता संविदा प्रदान किए जाने को निष्प्रभावी किए जानेऔर बोली प्रतिभूति की जब्ती के लिए पर्याप्त आधार स्थापित करेगा, ऐसी स्थिति में क्रेता अगले निम्नतम मूल्यांकित बोलीदाता को संविदा प्रदान कर सकता है अथवा नई बोलियों को आमंत्रित कर सकता है।

35. धोखा-धड़ी और भ्रष्टाचार

यह क्रेता की नीति है जो बोलीदताओं, आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों तथा संविदा के अधीन उनके उप संविदाकारों को ऐसी संविदाओं की अधिप्राप्ति और निष्पादन के दौरान आचार-विचार के उच्चतम मानक का अवलोकन करना जरुरी बनाती है। इस नीति के अनुसरण में, क्रता :

(क) इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ परिभाषित शब्दों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

(i) ''भ्रष्ट अभ्यास'' से तात्पर्य किसी अन्य पक्षकार की कार्यवाही को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने या मांग करने, प्रस्तावित करने, देने से है;

(ii) ''कपटपूर्ण अभ्यास'' से तात्पर्य किसी किसी गलत व्याख्या के प्रतिपादन सहित किसी ऐसे कार्य या त्रुटि से है जो किसी पक्षकार को कोई वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्तकरने या किसी बाध्यताको

उपेक्षित करने के लिए जान बूझकर या लापरवाही से भ्रम में डालता है या भ्रम में डालने का प्रयास करता है;

(iii) ''दुरभिसंधिपूर्ण अभ्यास'' से तात्पर्य एक अनुचित प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए दो या अधिक पक्षकारों के बीच अभिकल्पित एक प्रबंध से है जिसमें दूसरे पक्षकार की कार्रवाई को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;

(iv) ''बल प्रयोग अभ्यास'' से तात्पर्य किसी पक्षकार की कार्रवाई को गलत रूप से प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या पक्षकार की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिगाड़ने या नुकसान करने की धमकी देने अथवा खराब करनेया हानि करने से है;

(v) ''प्रतिरोधात्मक अभ्यास'' से तात्पर्य है:

(कक) जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य को जान-बूझ कर नष्ट करना, अययार्थ रूप से प्रस्तुत करना, उनमें हेर-फेर करना या उसे गुप्त रखना अथवा किसी भ्रष्ट, धोखाधड़ी, अवपीड़क या कपटपूर्ण अभ्यास के आरोपों में क्रेता की जांच में महत्वपूर्णरूप से बाधा पहुंचाने के लिए जांचकर्ताओं को झूठे बयान देना; और/अथवा जांच से संगत मामलों संबंधी उसकी जानकारी को प्रकट करने से या जांच को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी पक्षकार को धमकाना, तंग करना अथवा भयभीत करना; अथवा

(खख) क्रेता के निरीक्षण और लेखा परीक्षा संबंधी अधिकारों को लागू किए जाने में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालने के अभिप्राय से किए गए कार्य।

(ख) संविदा प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करेगा यदि वह यह निर्धारित करता है कि संविदा प्रदान किए जाने के लिए सिफारिश किया गया बोलीदाता प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के जरिए प्रश्नाधीन संविदा की प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण, बलपूर्वक या प्रतिरोधी गतिविधियों में संलग्न है।

(ग) संविदा प्रदान किए जाने के लिए या तो अनिश्चित कालीन समय के लिए अथवा बताई गई किसी समयावधि के लिए अपात्र घोषित किए जाने सहित किसी फर्म या व्यक्ति को प्रतिबंधित करेगा, यदि किसी समय वह यह निर्धारित करता है कि फर्म प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के द्वारा संविदा के लिए प्रतिस्पर्धाकरने या उसके निष्पादन में भ्रष्ट, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण, बलपूर्ण या प्रतिरोधी गतिविधियों में संलग्न है; और

(घ) उसे यह अधिकार होगा कि बोली दस्तावेजों और संविदाओं में शामिल किए जानेवाले प्रावधानों को बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों तथा

उनके उप संविदाकारों द्वारा क्रेता को बोली प्रस्तुती और संविदा निष्पादन से संबंधित उनके लेखों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने और क्रेता द्वारा उन्हें नियुक्त लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करवाने की अनुमति देने की जरूरत है।

----- भाग–II (आईटीबी) का समापन) ----